सी॰ बी॰ दो सं॰-384

लोक सभा

संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993
और
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

20 अगस्त, 1993 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
20 अगस्त, 1993 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 1993/श्रावण, 1915 (शक)

मूल्य : रुपए 16.00

विषय सूची

	पृष्ठ
1. संयुक्त समिति की रचना	(iii)
2. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(v)
3. विमति टिप्पण	(viii)
4. संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक	
(i) संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993	1
और	
(ii) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993	3

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक	विधेयकों को संयुक्त समिति को सौंपने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव	5
परिशिष्ट-दो	राज्य सभा में प्रस्ताव	7
परिशिष्ट-तीन	उन संघों/संगठनों की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं	8
परिशिष्ट-चार	साक्षियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया	9
परिशिष्ट-पांच	संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश	10
परिशिष्ट छः	विधेयकों पर भेजे गए संशोधन	27

संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993 तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री पवन कुमार बंसल—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
3. श्री ई० अहमद
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री पी० चिदम्बरम
6. श्री जार्ज फर्नान्डीज
7. श्री नुरूल इस्लाम
8. श्री के० एम० मैथ्यू
9. श्री विलास मुत्तेमवार
10. कुमारी विमला वर्मा
11. श्री शरद दिघे
12. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव
13. श्री अशोक गहलोत
14. श्री दिग्विजय सिंह
15. श्री रशीद मसूद

*16. श्री इन्द्रजीत गुप्ता

17. श्री अब्दुल गफूर
18. श्री गुमान मल लोढा
19. श्री जसवंत सिंह
20. श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य सभा

21. मुफ्ती मुहम्मद सईद
22. श्री चतुरानन मिश्र
23. श्री सत्य प्रकाश मालवीय
24. श्री सिकन्दर बख्त
25. श्री आर० के० धवन
26. श्री मदन भाटिया
27. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे
28. श्री रामचन्द्रन पिल्लै
29. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
30. श्री [illegible] पद्मनाभम

सचिवालय

1. श्री जी० एल० बत्रा — अपर सचिव
2. श्री एस० सी० गुप्ता — संयुक्त सचिव
3. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
4. श्री रामकुमार — अवर सचिव

---

*श्री [illegible] 12.8.93 से मनोनीत।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० एन० बोहरा — सचिव
2. श्री पी० पी० आर० नायर — विशेष सचिव
3. श्री टी० एन० श्रीवास्तव — संयुक्त सचिव
4. श्री आर० बालकृष्णन — सलाहकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० सी० राव — विधि सचिव (विधि कार्य विभाग)
2. श्री के० एल० मोहनपुरिया — सचिव (विधायी विभाग)
3. श्री ए० सी० सी० उन्नी — अपर सचिव तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल (विधायी विभाग)
4. श्री बी० एस० सलुजा — संयुक्त सचिव तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल (विधायी विभाग)
5. श्री एस० सी० ओझा — संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार (विधि कार्य विभाग)

संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993 तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति जिसे भारत के संविधान में आगे संशोधन करने संबंधी विधेयक* तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने संबंधी विधेयक* अर्थात् संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993 तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 भेजे गए थे, के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. विधेयक 29 जुलाई, 1993 को लोक सभा में प्रस्तुत किए गए थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को विधेयकों के संदर्भ के लिए प्रस्ताव लोक सभा में गृह मंत्रालय में मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एच० आर० भारद्वाज द्वारा 3 अगस्त, 1993 को प्रस्तुत किए गए तथा स्वीकृत किए गए थे। (परिशिष्ट-एक)

3. राज्य सभा ने उक्त प्रस्तावों पर, 5 अगस्त, 1993 को सहमति दे दी थी। (परिशिष्ट-दो)

4. राज्य सभा से संदेश लोक सभा बुलेटिन भाग-एक में 5 अगस्त, 1993 को प्रकाशित हुआ था।

5. समिति की कुल आठ बैठकें हुई।

6. समिति की पहली बैठक 10 अगस्त, 1993 को हुई जिसमें समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया। समिति को अपना प्रतिवेदन 16 अगस्त, 1993 तक सभा में प्रस्तुत करना था। समिति हेतु यह समय 20 अगस्त, 1993 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

7. विधेयक के प्रावधानों के संबंध में समिति को विभिन्न संघों/संगठनों और व्यक्तियों से तीन ज्ञापन प्राप्त हुए। (परिशिष्ट-तीन)

8. समिति ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में 12 अगस्त, 1993 को गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एच० आर० भारद्वाज के विचार सुने। समिति ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में 17 अगस्त, 1993 को अन्नाद्रमुक, शिरोमणि अकाली दल लोंगोवाल तथा शिव सेना के प्रतिनिधियों के विचार भी सुने। (परिशिष्ट-चार)

9. समिति ने अपनी 16, 17 तथा 18 अगस्त, 1993 को हुई बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर विधेयकों के प्रावधानों पर खंड-वार विचार किया।

10. 20 दिसम्बर, 1993 को हुई बैठक में समिति ने निर्णय लिया कि (एक) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य संसद के दोनों सदनों में रखे जाएं; और (दो) समिति को प्राप्त प्रत्येक ज्ञापन की दो प्रतियां प्रतिवेदन में प्रस्तुत करने के बाद संसदीय ग्रन्थालय में सदस्यों के संदर्भ के लिए रखी जायें।

11. समिति ने 20 अगस्त, 1993 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

12. विधेयकों में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियां उत्तरवर्ती पैराग्राफों में विस्तार से दी गई हैं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 29 जुलाई, 1993 में प्रकाशित।

एक. संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993

खण्ड 2—राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान आदर

13. इस बात में कोई शंका नहीं है कि भारत के संविधान में देश का शासन चलाने हेतु धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की व्यवस्था है। तथापि, संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। खण्ड-दो के रूप में अंतःस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नए अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा। नए अनुच्छेद के उपबंधों पर समिति के सदस्यों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई थी और यह महसूस किया गया था कि उपबंधों को अधिक स्पष्ट बनाया जाना चाहिए जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, वह किसी धर्म का अनुसरण अथवा प्रचार नहीं करेगा। आगे यह सुझाव दिया गया था कि प्रस्तावित अनुच्छेद को अनुच्छेद 24क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाए जो कि "धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार" नामक शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से ठीक पहले अंतःस्थापित किया जाए। तदनुसार, खण्ड-2 को इन संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है।

खण्ड 3—कतिपय संगमों को कतिपय आधारों पर प्रतिबन्धित घोषित करने संबंधी विधान

14. खण्ड 3 में संविधान में नये अनुच्छेद-35क को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि संसद को व्यक्तियों के किसी भी संगम अथवा निकाय पर, यदि वह धर्म के आधार पर अथवा नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता की भावना, घृणा अथवा दुर्भावना बढ़ाता है अथवा बढ़ाने का प्रयास करता है, प्रतिबंध लगाने के लिये कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो सके। प्रस्तावित अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि नियत विधि प्रतिबन्धित संगमों की संपदा को जब्त करने के लिये प्रावधान और अन्य प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक प्रावधान बना सकती है। इसके अतिरिक्त, इसमें यह प्रस्ताव भी किया गया है कि प्रस्तावित विधि के अंतर्गत उत्पन्न हुए किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता होगी। समिति के सदस्यों ने नये अनुच्छेद के प्रावधानों पर चर्चा की और यह विचार व्यक्त किया गया कि "इस संविधान में किसी भी अन्य बात के होते हुए" शब्दों का लोप किया जाये क्योंकि इससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि इससे सभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित अन्य प्रावधान समाप्त हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त, समिति के सदस्यों ने यह महसूस किया कि नये अनुच्छेद के प्रावधानों की ओर ध्यान दिया जाये और उन्हें केवल धर्म के आधार तक ही सीमित रखा जाना चाहिये और नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति अथवा समुदाय से संबंधित अन्य आधारों का लोप किया जाना चाहिये। तदनुसार खण्ड संशोधित किया गया है ताकि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं को संप्रवर्तन करने के मामलों को शामिल किया जा सके। यह भी महसूस किया गया कि उच्चतम न्यायालय के "एकमात्र अधिकार" से संबंधित प्रावधानों का भी लोप किया जाये। यह भी महसूस किया गया कि नये अनुच्छेद 35क को अनुच्छेद 28क के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाये और इसे "धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार" शीर्षक के अंतर्गत अंतःस्थापित किया जाये। तदनुसार खण्ड 3 को संशोधित किया गया है।

खंड 4—अनुच्छेद 102 में संशोधन

खंड 5—अनुच्छेद 191 में संशोधन

खंड 6—अनुच्छेद 226 में संशोधन

15. खंड 4 तथा 5 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 102 तथा 191 में संशोधन करने की मांग की गई है ताकि संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हता के संबंध में एक नया आधार शामिल किया जा सके। विधेयक में सुझाए गए नए संशोधनों की विषय-वस्तु के बारे में समिति में विस्तार से चर्चा हुई थी। कुछ सदस्यों का यह विचार था कि उम्मीदवार की निरर्हता उसके नामांकन के बाद लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले संविधान के अनुच्छेद 329 के उपबंधों के प्रतिकूल हो सकती है। तदनुसार अनुच्छेद 226 के संशोधन से संबंधित खण्ड 6 को अब संशोधन से संबंधित नए खण्ड 6 अथवा संविधान के अनुच्छेद 329 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि अनुच्छेद 329 के उपबंध नए अनुच्छेदों 102क तथा 191क के उपबंधों के अध्यधीन लागू होंगे। तद्नुसार यह भी महसूस किया गया कि मतदान से पूर्व निरर्हता का नया आधार धर्म चिन्हों सहित धर्म के उपयोग तक सीमित रहना चाहिए। समिति के विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए इस मत को देखते हुए, नए अनुच्छेद 102क तथा 191क यथासंशोधित रूप से स्वीकार कर लिए गए हैं। देखिए विधेयक के खंड 4 तथा 5।

दो. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993

खण्ड 2—धारा 29क में संशोधन

16. धारा 29क की उप-धारा (7) में संशोधन, जिसमें यह उपबंध है कि यदि किसी संगठन या निकाय का धार्मिक नाम है, तो उक्त संगठन या निकाय को उस धारा के अंतर्गत राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं किया जायेगा। पर चर्चा करते समय सदस्यों ने "धार्मिक नाम" के प्रयोग के संबंध में भिन्न विचार व्यक्त किए। विस्तृत चर्चा के पश्चात् सदस्यों ने अन्ततः यह महसूस किया कि उक्त शब्दों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार खण्ड-2 को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया गया है।

खंड 3—राजनैतिक दलों का पंजीकरण समाप्त करना

17. राजनैतिक दलों का कतिपय आधारों पर पंजीकरण समाप्त करने का प्रावधान करने के लिए खण्ड 3 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 29ख अंतःस्थापित करने की व्यवस्था करना है। उक्त खण्ड पर चर्चा के दौरान, सदस्यों ने महसूस किया कि उप-खण्ड (ग) को इस प्रकार संशोधित किया जाए ताकि इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि जहां राजनैतिक दल धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समूहों में असौहार्द अथवा शत्रुता की भावना, घृणा करना अथवा दुर्भावना को बढ़ाता है अथवा बढ़ाने का प्रयास करता है, वहां उसका राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि धारा 29ख की प्रस्तावित उप-धारा (3) में राजनैतिक दल के पदधारकों अथवा सदस्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है और इसका लोप कर दिया जाए। एक मत यह भी व्यक्त किया गया कि एक नई उप-धारा (5) अंतःस्थापित की जाये ताकि इस धारा के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के किसी आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान किया जा सके। सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए मत को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित नई धारा 29ख को यथासंशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

18. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयकों को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।

19. समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विधान में यह भी उचित उपबन्ध किया जाये कि निर्वाचन प्रयोजनों के लिए कोई भी धार्मिक संस्था किसी प्रकार का कोई आदेश, फतवा अथवा फरमान जारी न कर सके।

नई दिल्ली;
20 अगस्त, 1993

पवन कुमार बंसल,
सभापति,
संयुक्त समिति।

विमति टिप्पण

I

(28क) यह संशोधित अनुच्छेद संसद अथवा प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल को एक साथ ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा कि इसमें विनिर्दिष्ट आधारों पर किसी संगम अथवा निकाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपबंध करने हेतु विधान बना सकें।

इस प्रकार राज्य विधान मण्डलों को अपने राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी संगम अथवा व्यक्तियों के अखिल भारतीय स्वरूप वाले निकाय के कार्यकरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। मेरा मत है कि राज्य विधान मण्डलों को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकती हैं। इस विषय पर विधान बनाने की शक्ति पूर्णरूपेण केवल संसद के पास होनी चाहिए।

मैं इस तथ्य से पूर्णतः अवगत हूं कि आज हमारे राष्ट्र के अस्तित्व को साम्प्रदायिक राजनीति के खतरे का सामना करना पड़ रहा है और इस बात की आवश्यकता है कि राजनीति अथवा चुनावों के लिए धर्म के दुरुपयोग और दुरुपयोग को रोका जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। धर्म प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला है और इसे राजनीति अथवा चुनावों अथवा राज्य के कार्यों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, मैं संविधान में अनुच्छेद 102-क और 191-क को जोड़े जाने की कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं करता क्योंकि इन उपबंधों से संसद अथवा राज्य विधान मण्डलों द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव की तिथि से पूर्व ही अयोग्य ठहराया जा सकेगा। यदि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को अयोग्य करार दिया जाता है तो इन उपबंधों के कारण मत पत्रों को भी बार-बार छापने की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव पूर्व अनर्हता का उपबंध सभी उम्मीदवारों, मतदाताओं और उन सभी लोगों के मन में अनिश्चितता का भाव उत्पन्न कर देगा जो न तो उम्मीदवार हैं और न ही मतदाता। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे अन्य लोकतांत्रिक देशों के किसी भी संविधान अथवा चुनाव विधियों में ऐसा उपबंध नहीं मिला जिसके आधार पर उम्मीदवारी को चुनाव की तिथि से पहले ही निर्हर किया गया हो। यह तथ्य कि चुनाव याचिकाओं के निर्णय में लम्बा समय लगता है, इसलिए यह ऐसा उपबंध अधिनियमित करने का आधार नहीं होना चाहिए। उपचार ऐसे उपाय ढूंढने और कानून बनाने में है जिससे चुनाव याचिकाओं को तेजी से निपटाया जा सके।

नई दिल्ली; **सत्य प्रकाश मालवीय**
20 अगस्त, 1993

II

मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए सहमत हुई है जो (i) संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक और (ii) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक की जांच करेगी और उनमें आवश्यक परिवर्तन करेगी।

संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी बैठकें 16 अगस्त से आरम्भ की और 18 अगस्त तक विचार विमर्श किया। 20 अगस्त, 1993 को विधेयक को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत किया और बहुमत से असहमत सदस्यों को उसी दिन 4.00 म०प० तक अपने विमत टिप्पण देने के लिए कहा।

ये दोनों विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हैं, और संसदीय प्रणाली की सरकार के कार्यचालन में इनके दूरगामी परिणाम होंगे। हालांकि संविधान में दलीय प्रणाली का कहीं उल्लेख नहीं है फिर भी संसदीय प्रणाली के शासन में दलीय प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः संयुक्त संसदीय समिति को विचार विमर्श करने, राजनीतिक दलों के विचार जानने तथा नागरिकों तथा संघों आदि को सूचित करने के लिए और अधिक समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन, क्योंकि सरकार इन विधेयकों को इसी सत्र में पारित करने पर जोर दे रही है और क्योंकि उसने समय बढ़ाने की अपील को अस्वीकार कर दिया है इसलिए समिति के पास इन विधेयकों को इतनी अल्पावधि में अंतिम रूप देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे आशा और विश्वास है कि यदि समिति को और समय दिया जाता तो विधेयकों के अंतिम रूप में संवैधानिक विधिशास्त्र, जिसका हम पिछले चार दशकों में घोर परिश्रम के बल पर संवर्धन करते रहे हैं, और अधिक परिलक्षित होता। इस जल्दबाजी तथा समयाभाव के कारण इन विधेयकों में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। इसलिए मैं कतिपय मूल मुद्दों पर बहुमत की राय से सहमत नहीं हूं। अतः यह विमत टिप्पण प्रस्तुत है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक का उद्देश्य संविधान में तीन नये अनुच्छेदों अर्थात् (1) 28-क (2) 102क और (3) 191-क का अंतःस्थापन करके उसमें संशोधन करना है। उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 2 (लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के अनुसार) में उल्लिखित के अनुसार इस संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित है:—

"संविधान में उपबंधित रक्षोपायों के बावजूद, साम्प्रदायिकता की जड़े गहरी हो रही हैं और जब तक इस पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय नहीं किए जाते हैं तब तक यह ऐसे पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए जिन पर हमारा समाज आधारित है, खतरनाक हो सकता है।" उद्देश्यों और कारणों के कथन से मैं पूर्णतः सहमत हूं। वास्तव में इस बात का उल्लेख और सुस्पष्ट रूप में किया जाना चाहिए था। किन्तु मेरी चिन्ता यह है कि क्या अंतःस्थापित किये जाने वाले अनुच्छेदों अर्थात् 28-क, 102क और 191क से हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के मूलाधार को क्षति पहुंचाए बिना इन उद्देश्यों की वास्तव में पूर्ति हो सकेगी? अनुच्छेद 28क के वर्तमान स्वरूप से संसद तथा राज्य विधानमंडलों को व्यक्तियों के किसी ऐसे निकाय को या किसी ऐसे संघ आदि को प्रतिबंधित करने का उपबंध करने वाली विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होगी जो विभिन्न धार्मिक वर्गों के बीच असौहार्द या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना पैदा करता है। दूसरे शब्दों में इसके द्वारा वर्तमान सरकार को यह शक्ति मिल जाएगी कि वह केवल इस तर्क पर किसी दल या संगठन को प्रतिबंधित कर सकेगी कि वह दल या संगठन विभिन्न धार्मिक वर्गों में असौहार्द फैला रहा है। हम सब वैस्ट मिनिस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली के कार्यकरण से परिचित हैं। विधान बनाने की शक्ति यद्यपि सिद्धान्त रूप में संसद या राज्य विधान मंडल में निहित है तथापि व्यवहार में सत्तारूढ़ दल, विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल, सभी निर्णय करता है और विधान बनाता है। अतः यह शक्ति सत्तारूढ़ दल में निहित होती है। वास्तविक प्रश्न यह है कि:

क्या वर्तमान सरकार को ऐसी व्यापक शक्तियां देना बुद्धिमानी है?

क्या ऐसी कोई गांरटी है कि वे अपने राजनीतिक और दलगत हितों के लिए इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे?

समिति के समक्ष सरकार इस प्रश्न का कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं दे पायी कि संविधान के भाग-तीन में अनुच्छेद 28-क को क्यों सम्मिलित किया जा रहा है। क्या सरकार को या उस मामले में किसी भी सरकार को इस प्रकार की व्यापक विधायी शक्तियां प्रदान करना बुद्धिमता है।

सम्प्रदायवाद एक ऐसा जीवाणु है जो हमारे राजतंत्र के महत्वपूर्ण अंगों को खा रहा है। निस्संदेह इस महामारी की रोक-थाम के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए। राजनैतिक लाभ के लिए सम्प्रदायवाद फैलाने वाले किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के पास संविधान में और भारतीय दंड संहिता में अनेक कानून उपलब्ध हैं। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति हो और वर्तमान कानूनों को लागू करने का दृढ़ निश्चय हो। इसलिए मेरा यह मानना है कि यह नया अनुच्छेद 28-क निरर्थक और अनावश्यक है और इसका पूर्ण रूप से लोप किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 102-क खतरनाक परिणामों से भरपूर अनुच्छेद है जो सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को एक ढोंग और मखौल बना देगा। संविधान में संशोधन करके अंतःस्थापित किए जाने वाले इस अनुच्छेद से संसद को उसके किसी भी सदन के लिए निर्वाचित किए जा रहे किसी भी व्यक्ति को धर्म का दुरुपयोग करने पर निरर्हित करने संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 191-क राज्य विधानमंडल को उसके लिए निर्वाचित होने वाले किसी भी व्यक्ति को निरर्हित करने की शक्ति प्रदान करेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि संविधान में किसी विशिष्ट अनुच्छेद के बिना किसी भी राजनैतिक दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान और अन्य कानूनों में कुछ धाराओं सहित अनेक उपबंध उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 102-क और 191-क पर भी यही बात लागू होती है। इसलिए ये दोनों अनुच्छेद निरर्थक और अनावश्यक हैं। परन्तु मुझे यह गंभीर आशंका है और बल्कि मैं तो अनुच्छेद 102-क में खंड "2" सम्मिलित करने के पीछे दुर्भावना का आरोप लगाऊंगा। यह खंड इस प्रकार है: — अनुच्छेद 102क

"इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद, विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि खंड (1) के अधीन निरर्हता के प्रश्न का अवधारणा ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि उक्त विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए।" जिसका तात्पर्य है कि निर्वाचन संबंधी अपराधों को निपटाने के लिए निर्वाचन आयोग के ऊपर कोई नया अधिकरण बनाया जाएगा जो "मूल विशेषताओं" की धारणा के विरुद्ध है।

संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली के सफल कार्यकरण के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया का निरीक्षण करने वाले एक ऐसे निर्वाचन आयोग का उपबंध किया था जो कार्यकारिणी के नियंत्रण से मुक्त होगा। यह नया खंड 2 इस पर चोट करेगा तथा निर्वाचन आयोग की भूमिका को महत्वहीन बना देगा।

इसके अतिरिक्त, यह खंड इस अनुच्छेद का उल्लंघन किए जाने संबंधी शिकायतों से निपटने और उम्मीदवार को निरर्हित करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों या किसी अन्य न्यायिक प्राधिकरण को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। चूंकि न्यायनिर्णयन में बहुत कम समय लगेगा, इसलिए शिकायतों की भली-भांति जांच नहीं हो पाएगी तथा साक्ष्य लिए जाने और उम्मीदवार को आरोपों का खंडन करने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा होने और बढ़ी

संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के बारे में अनिश्चितता पैदा होने की भी संभावना है। इस उपबंध का दुरुपयोग और कुप्रयोग किए जाने की संभावना है। उम्मीदवार की जीत की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए धर्म का दुरुपयोग करने संबंधी मामलों से निपटने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंध पर्याप्त हैं और यदि उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। निर्वाचन संबंधी याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण गठित किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

निर्वाचन सुधार संबंधी (दिनेश गोस्वामी) समिति ने इस बारे में कुछ मूल्यवान सुझाव दिए हैं। सरकार इन सुझावों को गंभीरता से लेकर उन्हें लागू कर सकती है। अतः, मैं अनुच्छेद 102-क और 191-क तथा अन्य पारिणामिक उपबंधों को अस्वीकृत करता हूं।

नई दिल्ली;
20 अगस्त, 1993

एम॰ पदमानाभम

III

29 जुलाई, 1993 को लोक सभा में संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करते समय मैंने कहा था कि इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध हैं जो हमारी लोकतन्त्रीय राजसत्ता के स्वरूप तथा संविधान में प्रतिष्ठापित मूल अधिकारों के विरुद्ध जाते हैं। उस आलोचना में सरकार को कुछ सार नजर आया तथा संयुक्त समिति के लिए इस विधेयक को सौंपे जाने के पश्चात् जिन खण्डों के बारे में मैंने आपत्ति जाहिर की थी उनमें से कुछ का लोप करने के लिए संशोधन पेश किये गए। तथापि इसके संशोधित प्ररूप में भी ऐसे उपबन्ध है जो उन सिद्धान्तों के विरुद्ध जाते हैं जिन पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। ये उपबन्ध संविधान के उस मूल ढांचे के विरुद्ध भी जाते हैं जिस रूप में इनकी परिभाषा केशवानन्द भारती मामले में की गई है।

इस विधेयक के दृश्यमान उद्देश्य प्रशंसनीय हो सकते हैं। हमारे राजतन्त्र से साम्प्रदायिकता का ज़हर निकालना है। किन्तु जिस प्रकार से इस विधेयक में उपबन्ध किए गए हैं उनसे यह बीमारी समाप्त होने की बजाय और बढ़ेगी।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक व्यर्थ ही नहीं बल्कि यह खतरनाक है। शायद इसका एक और अधिक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। यह क्रियान्वित नहीं किया जायेगा जिसके कारण संसद की आलोचना की जाएगी तथा संविधान का मखौल उड़ाया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर कुछ संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तथा उनकी सम्पत्ति को जब्त करने के लिए प्रस्तावित नए अनुच्छेद 28क की कोई आवश्यकता नहीं है जब कि विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव है। यदि उस अधिनियम में कोई कमी लगती है तो सरकार उन्हें संसद के समक्ष ला सकती है तथा यदि वह यह समझती है कि इस कानून को अधिक शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है तो ऐसा भी किया जा सकता है।

मेरे विचार से प्रतिबन्धित संगठनों की सम्पत्ति तथा आस्तियों को जब्त करना असंवैधानिक है। विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में प्रतिबन्ध की अवधि के दौरान धनराशि तथा अन्य आस्तियों पर प्रतिबंध लगाने का विद्यमान उपबंध पर्याप्त है तथा यह संविधान का उल्लंघन भी नहीं करता।

अनुच्छेद 28क में उल्लिखित राज्य विधान मंडलों को किसी संगठन, जिसमें राजनैतिक दल भी सम्मिलित हैं, पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए शक्ति प्रदान करने वाला उपबंध बिल्कुल गलत है। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे देश में अनेक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। केन्द्र में सत्ताधारी दल पर भी सही या गलत कारणों की वजह से एक या अधिक राज्यों में प्रतिबंध लग सकता है जिससे एक प्रतिक्रिया सी आरम्भ हो जाएगी और देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

उपरोक्त कारणों की वजह से मैं इस खंड का विरोध करता हूं।

अनुच्छेद 102क तथा 191क का अन्तःस्थापन केवल अनावश्यक ही नहीं है बल्कि यह हमारी लोकतंत्रीय संस्थाओं तथा संसदीय प्रणाली की मूल सिद्धान्तों पर भी एक प्रहार है। आगे चलकर इससे एक-दलीय शासन का रास्ता खुल जायेगा। विधि-निर्माताओं के सच्चे और नेक इरादे बेईमान तथा सिद्धान्तहीन कार्यपालिका के हाथों लोगों के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिटलर ने तानाशाह बनने के लिए "बीमार" गणराज्य के लोकतान्त्रिक संविधान का प्रयोग किया और हम जानते हैं कि मानव जाति, विशेष रूप से जर्मनी के लोगों को कितनी हानि उठानी पड़ी। इसलिए प्रत्येक विधान के गुण इस बात से नहीं आंके जाने चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या हासिल करना है बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।

मेरा यह दृढ़विश्वास है कि ये दोनों नये अनुच्छेद निर्वाचन प्रक्रिया में कम से कम अव्यवस्था तो उत्पन्न कर ही देंगे। इसके अलावा ये अनुच्छेद लोगों द्वारा अपनी मन पसंद सरकार निर्वाचित करने के उनके मूल अधिकार के विरुद्ध जाते हैं तथा ये संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करते हैं। ये दोनों अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 तथा 329 की भावना के भी बिल्कुल विपरीत जाते हैं। इनसे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी तथा ये निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर अभूतपूर्व धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार के स्रोत होंगे।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि निर्वाचनों को विनियमित करने तथा विशेषकर निर्वाचनों में धर्म के दुरुपयोग के संबंध में वर्तमान कानून हाल में उपजी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क, 123 और 125 में निर्वाचनों के दौरान धर्म के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े उपाय करने हेतु शक्तियां निहित हैं। जबकि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153क (धर्म के आधार पर विभिन्न ग्रुपों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन का अपराध, ऐसा कोई कार्य जो विभिन्न धार्मिक ग्रुपों के बीच सौहार्दता बनाए रखने के प्रतिकूल है; व्याम, संचलन, ड्रिल आदि का आयोजन यह जानते हुए भी कि ऐसी गतिविधियों में भाग लेने वाले इसका प्रयोग अथवा ऐसा प्रशिक्षण लेने वाले किसी धार्मिक ग्रुप के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करेंगे या ऐसे धार्मिक समुदाय के सदस्यों में भय, चिन्ता अथवा असुरक्षा की भावना फैलायेंगे), धारा 505 की उपधारा (2) और उपधारा (3) (धर्म के आधार पर ऐसे वक्तव्य देने, जो शत्रुता, नफरत या दुर्भावना उत्पन्न करता हो या उसे बढ़ावा देता हो का अपराध, या किसी धर्म स्थल पर या कोई सभा जो धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के निष्पादन में लगी हो, में ऐसा अपराध करना) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पठित पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 6 (किसी पूजा स्थल में परिवर्तन करने का अपराध) ऐसे अपराधों के लिए उन सिद्धदोष व्यक्तियों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित करती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्था (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1988 है जो राजनैतिक क्रियाकलाप में धार्मिक संस्थाओं द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

इस सच्चाई को देखते हुए मैं इन दो संशोधनों का जो तात्पर्य है उसके प्रति पूर्णतया आशंकित हूं और मैं इनका दृढ़ रूप से विरोध करता हूं।

मैं इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित किये जाने पर अत्यधिक अप्रसन्न हूं। यह अस्सीवां संविधान संशोधन है और लगातार संविधान में संशोधन करते रहने से संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाने में जो सामूहिक विद्वता और परिश्रम का परिचय दिया था उसे हम भूल जायेंगे। वर्तमान संशोधनों में जिन चुनौतियों का सामना करने की कल्पना की गई है वे अचानक और अकस्मात ही नहीं सूझे हैं, वे तो स्वतंत्रता संघर्ष के समय से ही और फिर जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तभी से हमारे सामने रही हैं। आज हम यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन चुनौतियों का स्वरूप वैचारिक है और विचारों की लड़ाई में विधि का महत्व, यदि कोई हो, तो वह गौण हो जाता है। विचारों को बढ़िया विचारों से ही चुनौती दी जा सकती है और ये वही लोग कर सकते हैं जिनमें दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता हो। और निस्संदेह विचार तो होने ही चाहिए। दुर्भाग्य से आज हमारा राजनैतिक जीवन का संबंध केवल शक्ति प्राप्त करने के लघु मार्ग ढूंढने तक ही सीमित हो गया है। पहले इस स्थिति का सुधार किए बिना सभी संवैधानिक संशोधन तथा इस समय प्रस्तावित अन्य संशोधन निष्प्रभावी हो जायेंगे।

मेरे विचार से इस बात की निगरानी रखने और विनियमन करने की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अन्तर्गत पंजीकृत राजनैतिक दल पंजीकरण में निहित शर्तों के अनुरूप कार्य करते हैं या नहीं केवल निर्वाचन आयोग के पास होनी चाहिए। यदि कोई दल धारा 29क में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो प्रथम दृष्टि में ही कोई दल निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत नहीं किया जायेगा। यह बात सही है कि पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण को यदि किसी स्रोत से यह शिकायत मिल जाती है कि किसी राजनैतिक दल ने किसी शर्त का उल्लंघन किया है तो वह संबंधित दल से इसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए उसे एक नोटिस भेजता है। यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो कारण बताओ नोटिस कि उसका पंजीकरण रद्द क्यों न कर दिया जाये, भेजा जाता है जिसके पश्चात्, उस पर सुनवाई होती है। इन प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के पश्चात्, यह मानकर कि ऐसी कार्यवाही करने के लिए इसमें समुचित आधार है, पंजीकरण रद्द करने का आदेश जारी किया जाता है। ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील उच्चतम न्यायालय में उसी प्रकार से की जा सकती है जैसे कि किसी दल का पंजीकरण करने से मना करने पर अपील की जाती है।

मैं धारा 29ख की अन्तःस्थापना का विरोध करता हूं और सुझाव देता हूं कि उपर्युक्त सुझावों के आधार पर एक नया संशोधन पुरःस्थापित किया जाए।

नई दिल्ली;
20 अगस्त, 1993

जार्ज फर्नांडीज

IV

हम संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993, और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 संबंधी संयुक्त प्रवर समिति के बहुमत प्रतिवेदन से जोरदार असहमति व्यक्त करते हैं।

हमारा विचार है कि दोनों ही प्रस्तावित विधेयक राजनैतिक दृष्टि से विभ्रम हैं, संविधानिक दृष्टि से इस पर प्रश्नचिन्ह लगा है और सांस्कृतिक दृष्टि से यह राजनैतिक मूल्यों का अवमूल्यन करता है।

राजनैतिक प्रेरणाएं

इन विधेयकों का स्पष्ट प्रयोजन धर्म को राजनीति से अलग करना है। यह स्पष्ट है कि यह बहाना मात्र है। इसका वास्तविक आशय भारतीय जनता पार्टी को चुनावों से अलग करना है।

प्रस्तावित अस्सीवें संविधान संशोधन पर टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश एच॰आर॰ खन्ना ने हाल ही के अपने लेख में लिखा है:

"....आम धारण यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के विरुद्ध है और इसका उद्देश्य इस दल द्वारा चुनाव लड़ने के मार्ग में कानूनी अड़चने पैदा करना है।

यह स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही लोकप्रियता कांग्रेस दल के लिए चिन्ता का विषय है जो आजादी से ही केवल कुछ अवधि को छोड़कर केन्द्र में सत्ता में रहा है। भारतीम जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस को दी जा रही चुनौती अनिवार्यतः राजनैतिक चुनौती है और इसका मुकाबला राजनैतिक मंच पर ही किया जाना चाहिए।

लोकतंत्र में निर्वाचक से अधिक महत्वपूर्ण कोई पद नहीं है क्योंकि इस द्वन्द में राजनैतिक दलों का वास्तविक निर्णायक वही होता है। अतः उचित और उपयुक्त यह होगा कि लोकतांत्रिक लड़ाई, संवैधानिक संशोधनों, जिनका पहले से ही आधिक्य है, के स्थान पर मत पत्र द्वारा लड़ी जानी चाहिए।"

हिन्दुस्तानटाईम्स (17 अगस्त, 1993)

सरकार का भारतीय जनता पार्टी विरोधी रवैया सर्वविदित है किंतु पुरःस्थापित विधेयकों में इस रवैये को छद्मावरण में प्रस्तुत किया गया है। यह और बात है कि वह आवरण थोड़ा झीना है किंतु अब उस मुखौटे को भी उतार कर फैंक दिया गया है।

विधेयकों के उद्देश्यों और कारणों के कथनों में न केवल पथ निरपेक्षता के बारे में बल्कि लोकतंत्र के बारे में भी चिंता प्रकट की गई है। और यह घोषणा की गई है कि इन विधेयकों में धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा, जन्म-स्थान या निवास के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच असौहार्द की भावना फैलाने को समाप्त करने की व्यवस्था की जायेगी।

विधेयक में समाविष्ट सरकारी संशोधन में मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा आदि संबंधी सभी उल्लेखों का लोप कर दिया गया है और केवल धर्म को ही सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा है। वस्तुतः उपरोक्त वाक्यांशों के लोप किये जाने से चुनाव जीतने के उद्देश्य के लिए इन घटकों के दुरुपयोग को वैधता मिल जाती है।

1952 के पहले आम चुनावों के समय से ही भारतीय सार्वजनिक जीवन का यह दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहा है कि चुनाव जीतने के लिए जाति का सहारा सबसे ज्यादा लिया जाता है। कुछ राज्यों में तो भाषा को अन्य राज्यों से आये उन लोगों के विरुद्ध वैमनस्य फैलाने का आधार बनाया गया है जो संबंधित राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा नहीं बोलते हैं। देश के कुछ राज्यों में "नस्ल" और "अधिवास" को भी कड़वाहट पैदा करने और चुनाव जीतने के लिए प्रयुक्त किया गया है।

यह तथ्य कि इन आधारों का उद्देश्यों और कारणों के कथन में तथा मूलतः प्रस्तावित विधेयक के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था किन्तु अब सरकारी संशोधनों में उनका लोप कर दिया गया है, यह निर्णायक तौर पर सिद्ध करता है कि उठाये जा रहे वर्तमान कानूनी कदमों का संबंध सामाजिक सौहार्द उत्पन्न करने या चुनाव प्रक्रिया में स्वच्छता लाने से नहीं है। सरकार की रूचि केवल अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी के बढ़ते कदमों में रोड़े अटकाने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त करने की है।

इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये विधेयक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ते जा रहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वैचारिक झंझावात को रोकने का एक अपरिपक्व, भद्दा किन्तु हताशा प्रयत्न है।

मूलरूप से पुरःस्थापित दो विधेयकों में किये गए सरकारी संशोधन इस प्रकार से लाये गए हैं कि इनके साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन बिल्कुल निरर्थक हो गए हैं। कुछ संशोधन तो घोषित उद्देश्यों के ही प्रतिकूल हैं जबकि अन्य संशोधन कथन से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया था, किसी ऐसे राजनैतिक दल का रजिस्ट्रीकरण वापस लेने का था, जिसकी गतिविधियां "समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, और लोकतंत्र, ...देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के सिद्धांत" के प्रति घोषित वचनबद्धता के अनुरूप नहीं होगी।

सरकारी संशोधन के परिणामस्वरूप उपरोक्त उपबंध खत्म कर दिया गया है और अब यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई दल "धर्म के आधार पर भारत के नागरिकों के बीच असौहार्द या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना संप्रवर्तित करता है या करने का प्रयत्न करता है" तो उस दल का रजिस्ट्रीकरण वापस लिया जा सकता है।

हम यह महसूस करते हैं कि जब सरकार संशोधनों के द्वारा विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस प्रकार का बुनियादी परिवर्तन करती है तो उसे मूल विधेयक को वापस ले लेना चाहिए और एक नया विधेयक लाना चाहिए। ऐसा न करने पर हम आपत्ति प्रकट करते हैं।

इस संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि चुनाव संबंधी सुधारों की सिफारिशें देने के लिए 1990 में तत्कालीन विधि मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में बनायी गई सर्वदलीय समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करने वाली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 क उद्देश्य की बिल्कुल पूर्ति नहीं कर रही थी और उसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इस विधेयक में न केवल उस सिफारिश की उपेक्षा की गई है बल्कि इसमें अपने तगड़े प्रतिद्वन्द्वी के रजिस्ट्रीकरण को चुनिंदा रूप से समाप्त करने की शक्तियां भी प्राप्त की जा रही है।

प्रवर समिति में हमने कहा था कि यदि इन दो विधेयकों को पारित कर दिया जाता है तो निर्वाचन प्रक्रिया पर इनके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। अतः अच्छा यह होगा कि जहां तक निर्वाचन करवाने का संबंध है मुख्य संवैधानिक अधिकारी को समिति के समक्ष आमंत्रित किया जाये और इन विधेयकों के संबंध में सदस्यों को उनकी राय जानने का अवसर दिया जाये। हमें खेद है कि हमारा अनुरोध ठुकरा दिया गया।

हमें ऐसा कोई पूर्वादाहरण याद नहीं आता जब दो महत्वपूर्ण विधेयकों अर्थात् एक संविधान संशोधन और दूसरा निर्वाचन विधि में संशोधन करने से संबंधित प्रवर समिति को एक पखवाड़े से भी कम समय में अपना कार्य पूर्ण करने को बाध्य किया गया हो, वह भी उस समय जबकि सभा का सत्र चल रहा हो।

अध्यक्ष के निर्देश 78 में यह अपेक्षित है कि खंडवार विचार समाप्त होने के पश्चात् कम से कम तीन दिन बाद प्रवर समिति प्रतिवेदन पर विचार करेगी। इस मामले में 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन पर विचार किया गया। प्रतिवेदन को प्रातः 10 बजे गृहीत किया गया तथा सदस्यों से उसी दिन उनके विमति टिप्पण, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने को कहा गया। इस प्रवर समिति ने प्रक्रियाओं तथा परम्पराओं की अनदेखी करने की दिशा में वास्तव में एक मिसाल कायम की है।

इतना ही नहीं, यह स्पष्ट था कि सरकार हर सूरत में इन विधेयकों को इसी सत्र में पारित करने पर तुली हुई है ताकि लोकतंत्र विरोधी शस्त्र आगामी चार विधान सभा चुनावों के लिए इसे उपलब्ध हो। इस प्रकार सरकार के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। 1975-77 के आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार ने भी इसी प्रकार निरंकुश 42वें संशोधन को अपना हथियार बनाया था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस संशोधन के कारण लोग सत्तारूढ़ दल से और ज्यादा दूर हुए। आश्चर्य न होगा यदि इस बार भी सत्तारूढ़ दल अपने ही जाल में खुद न फंस जाये।

संवैधानिक तथा विधिक कमियां

संविधान के प्रस्तावित संशोधनों में दो विशेषतः हानिकारक प्रावधान हैं—एक, अनुच्छेद 28क जिसमें सरकार को एक ऐसी शक्ति प्रदान की गई है जिसका इस्तेमाल किसी संगठन (इसमें राजनैतिक दलों अथवा मजदूर संघों को अलग नहीं किया गया है) को गैर कानूनी करार देने में की जा सकती है और दूसरा, अनुच्छेद 102क तथा अनुच्छेद 191क जिसमें संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के उम्मीदवारों को पहले ही निरर्हित करने का प्रावधान है, यदि सशक्त प्राधिकारी (जिसका नाम अभी अनुवर्ती विधान द्वारा किया जाना है) की राय में संबंधित उम्मीदवार ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धर्म अथवा धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया है।

80वां संशोधन विधेयक की धारा 3 न केवल संसद को बल्कि राज्य विधान मंडलों को भी धर्म के आधार पर लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच कथित रूप से दुर्भावना पैदा करने के लिए एसोसिएशनों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। एक ऐसा कानून पहले से बना हुआ है, जिससे इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह कानून गैर कानूनी क्रियाकलाप निरोधक अधिनियम, 1967 है। हम इस अधिनियम के प्रावधानों से पूर्णतः सहमत नहीं हैं। परन्तु इस कानून में कम से कम कार्यपालिका की मनमानी से सुरक्षा का प्रावधान है जो उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना के प्रावधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। प्रतिबंध तभी प्रभावी होता है जब न्यायाधिकरण उस एसोसिएशन जो कार्यपालिका के कोपभाजन का शिकार हुआ है, का विचार सुनने के बाद प्रतिबंध की पुष्टि कर दे। प्रस्तावित संशोधन में ऐसी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

जाहिर है कि यह नया प्रावधान वर्तमान सरकार के बाहरी न्यायाधिकरण जिसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर गैरकानूनी प्रतिबंध को कुछ समय पूर्व गैर कानूनी ठहरा दिया था, के विरुद्ध बदले की कार्रवाई है।

हमारे विचार में यह प्रावधान एसोसिएशन बनाने के नागरिकों के पावन अधिकार पर एक कुठाराघात है। सबसे बर्बर बात यह है कि इस नये अनुच्छेद 28क को संविधान के अध्याय-तीन जिसमें भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार दिये गये हैं, में शामिल किया जा रहा है। क्या वर्तमान भारत सरकार एसोसिएशनों को गैर कानूनी ठहराना राज्य का मूल अधिकार मानती है, हमें विश्व के किसी लोकतंत्रात्मक संविधान में इस प्रकार के प्रावधान की जानकारी नहीं है। जिन्होंने इस संवैधानिक संशोधन का विचार दिया है, उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया है कि भारतीय संविधान में इस प्रकार के प्रावधान को शामिल किये जाने से और वह भी मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में, भारत वास्तव में लोकतंत्रात्मक विश्व में एक मजाक बनकर रह जाएगा।

इन विधेयकों के घोषित उद्देश्य राजनीति से धर्म को अलग करना है। परन्तु संविधान का प्रस्तावित नया अनुच्छेद 28क, कार्यपालिका को न केवल राजनैतिक दलों तथा मजदूर/संघों, जो सरकार की राय में लोगों के वर्गों के बीच दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, को गैर कानूनी घोषित करने बल्कि आर्य समाज जैसे सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों को भी गैर कानूनी ठहराने की अति व्यापक शक्ति प्रदान करता है। इस

बात को देखते हुए कि एसोसिएशनों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, उद्देश्यों तथा कारणों के प्रतिकूल, राज्य विधानमंडलों को भी दी जा रही है, संबंधित प्रावधान लोकतंत्र के लिए वास्तव में बहुत खतरनाक है।

हमारे देश में निर्वाचन कानून के मामले में पांच मूलभूत सिद्धांत है जिनका उल्लंघन कोई विधानमंडल नहीं कर सकता ये है:

(एक) निर्वाचन स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हो।

(दो) निर्वाचन बिना किसी बाधा के जनता की संप्रभु इच्छा को व्यक्त करे।

(तीन) बहुदलीय प्रणाली हमरे संविधान का बुनियादी अंग है और कोई निर्वाचन कानून इसे एक दलीय व्यवस्था में नहीं बदल सकता।

(चार) निर्वाचन प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाने के बाद अबाधरूप से जारी रहनी चाहिए, न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

(पांच) चुनाव संबंधी कदाचारों की न्यायिक पुनरीक्षा होनी चाहिए और वह भी चुनाव याचिका द्वारा की जानी चाहिए जिसका निर्णय किसी न्यायिक प्राधिकारी द्वारा किया जाये।

हमें यह जानकर खेद है कि प्रस्तावित परिवर्तन भारत के चुनाव कानूनों के इन आधारभूत पहलुओं में से प्रत्येक का उल्लंघन करते है।

लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी राजनीतिक दलों तथा विचारधाराओं को विकास का अवसर मिलना चाहिए। विचारधाराओं का मुकाबला विचारधाराओं से ही किया जा सकता है, विधायी दमन द्वारा उसका मुकाबला कभी नहीं किया जा सकता। संविधान में प्रस्तावित अस्सीवां संशोधन इस अवधारणा का मूलोच्छेदन करता है। इस विधेयक में एक विचारधारा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा यह विधेयक इन संशोधनों के द्वारा इस विचारधारा का विकास अवरूद्ध करने के लिए है। यदि यह देश इस को चुपचाप स्वीकार कर लेता है तो कल और दूसरी विचारधारा को लक्ष्य बनाया जा सकता है। यह एकदलीय शासन का मार्ग है।

एक ऐसा नियंत्रित लोकतंत्र जिसमें कोई न्यायाधिकरण एक विचारधारा संबंधी लोकपाल का कार्य कर रहा हो, स्वयं उस व्यवस्था के लिए घोर संकट उत्पन्न कर देता है। राजनीति से धर्म को अलग करने के बहाने लोकतंत्र का गलाघोंट कर उसे नष्ट किया जा रहा है।

संविधान तथा निर्वाचन विधि के उपबन्धों के अन्तर्गत नियमतः संसद अथवा राज्य विधान सभाओं की सदस्यता के लिए निरर्हतायें हकशुफाई न होकर, कार्योत्तर हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भ्रष्ट आचरणों तथा चुनाव अपराधों को परिभाषित किया गया है। इन उपबन्धों के उल्लंघनों को चुनौती, चुनावों के समाप्त होने के बाद ही दी जा सकती है।

चुनाव से पहले जिन एकमात्र निरर्हताओं का निश्चय किया जा सकता है वे ऐसी (संवैधानिक तथा सांविधिक) निरर्हतायें है जो पर्याप्त रूप से निश्चित हैं। ये विधि से निर्धार्य ऐसे तथ्यों से संबंधित होती हैं जिनके बारे में चुनाव अधिकारी संक्षिप्त जांच पड़ताल से पता लगाकर निर्णय कर सकता है, उदाहरण के लिये, क्या उम्मीदवार को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जा चुका है अथवा वह अनुन्मोचित दिवालिया है या कोई लाभ का पद धारण करता है अथवा मानसिक अर्धमता आदि के किसी अपराध या कार्य के लिए एक निश्चित अवधि से अधिक के दंडादेशं का सिद्धदोष हो चुका है। विधि निर्माता निर्वाचन प्रक्रिया की सुचारू तथा निर्बाध प्रगति के प्रति इतने चिन्तित हैं कि संविधान के अनुच्छेद 329 के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को भी निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डालने की मनाही कर दी गई है।

के० सी० मैथ्यू बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मुकदमे में केरल उच्च न्यायालय (ए० 1982 केरल 265, 27 ए-29) ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के अनेक मामलों को अवधृत किया है और अनुच्छेद 329 के औचित्य के विषय में संक्षेप में इस प्रकार बताया है:

> "इस उपबन्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि लोकतंत्रात्मक संविधान रखने वाले किसी देश में, जहां विधायकों को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होता है, यदि चुनावों को अनुचित रूप से लम्बा खींचा जाता है या उनमें अनुचित बाधा डाली जाती है, तो उसके अत्यंत गंभीर परिणाम होंगे। इसी दृष्टि से निर्वाचन प्रक्रिया के चलते बीच में किसी व्यक्ति को तात्कालिक राहत देने की बात बिल्कुल भुला देनी पड़ती है ताकि निर्वाचन भलीभांति पूर्ण होने का अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य सम्पन्न हो सके।"

किसी उम्मीदवार द्वारा किये गये निर्वाचन संबंधी किसी अपराध के बारे में सुनवाई आवश्यक रूप से न्यायिक सुनवाई ही होनी चाहिये। नामांकन पत्रों की जांच और असल चुनाव के बीच की 21 दिन की अवधि में समय संबंधी बाधा मुख्य प्रतिबन्ध हैं। डाक मतपत्र निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम एक सप्ताह पूर्व ही भेज दिये जाते हैं। मत पत्रों के मुद्रण में भी काफी समय लगता है। ऐसी स्थिति में किसी उम्मीदवार द्वारा किये गये निर्वाचन अपराधों संबंधी शिकायतों पर किसी प्राधिकारी द्वारा दस दिन के भीतर निर्णय दिये जाने की आशा करने का तात्पर्य न्यायिक प्रक्रिया को उपहास का विषय बनानना होगा। के० सी० डेविस ने "द रिक्वायर्मेन्ट आफ ट्रायल टाइप हियरिंग" में (70 हावर्ड ला रिव्यू) कहा है:

> "अधिनिर्णय संबंधी तथ्य वे तथ्य हैं जिनका संबंध पक्षकारों या उनकी गतिविधियों, कारोबार तथा सम्पत्तियों से है और सामान्यतः इनमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर होते हैं कि किस ने क्या किया, कहां किया, कैसे किया और किस उद्देश्य से किया। अधिनिर्णय

संबंधी तथ्य मोटे तौर पर ऐसे तथ्य होते हैं जो ज्यूरी के पास जाते हैं। विधायी तथ्यों का संबंध आमतौर पर निकटस्थ पक्षकारों से नहीं होता लेकिन ये सामान्यतः ऐसे तथ्य होते हैं जो न्यायाधिकरण को विधि, नीति तथा विवेक के प्रश्नों का निर्णय करने में सहायक होते हैं। पक्षकारों तथा उनकी गतिविधियों से संबंधित तथ्य, अर्थात् अधिनिर्णय संबंधी तथ्य ऐसे मूलभूत तथ्य होते हैं जिनका आम तौर पर निर्धारण पक्षकारों को नोट करने या किसी ऐसे साक्ष से मिलने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाना चाहिए जो उनके पक्ष में न हो अर्थात् पक्षकारों को विचारण का अवसर दिए बिना ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।"

क्या गम्भीर रूप से यह सुझाव दिया जा सकता है कि इस अत्यंत सीमित अवधि में इस प्रकार के चुनाव संबंधी अपराध का निष्पक्ष अधिनिर्णय हो सकता है विशेष्कर ऐसी थिति में जबकि यह नैतिक निर्णय पर आधारित हो? प्रस्तावित संशोधन से मामले की सुनवाई परिहास बनकर रह जाएगी और इसका इस्तेमाल दलगत हितों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में छेड़छाड़ करने के लिए किया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में वाक्यांश "भ्रष्ट आचरण" की परिभाषा दी गई है। सांविधिक परिभाषा में निम्नलिखित आचरण शामिल है:

(एक) मतदाताओं को घूस देना;

(दो) अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के अधिकार पर अवांछित प्रभाव डालना या उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना;

(तीन) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट डालने या वोट न डालने की अपील करना या कार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करना;

(चार) विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना फैलाना या फैलाने का प्रयास करना;

(पांच) प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार के व्यक्तिगत आचरण के बारे में झूठे आरोप प्रकाशित करना;

(छः) कानून का उल्लंघन करते हुए व्यय करना;

(सात) उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा बूथ पर कब्जा करना; या

(आठ) लोक सेवक की सेवाएं प्राप्त करना।

यदि कोई उम्मीदवार अपनी विजय की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए ऊपर लिखित भ्रष्ट आचरणों में से कोई एक भ्रष्ट आचरण करता है तो चुनाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। इस प्रकार ऊपर (तीन) तथा (चार) में उल्लिखित आधारों को सम्मिलित करने तथा दोहरे विचारण का प्रावधान करने का जरा भी औचित्य नहीं है क्योंकि एक विचारण निर्वाचन के दौरान होगा जब नामित प्राधिकारी किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से विवर्जित कर सकेगा और इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकेगा और दूसरा विचारण चुनाव के बाद चुनाव याचिका के रूप में होगा।

यह निरर्थक होगा कि एक ही अपराध की जांच दो अलग प्राधिकारी करें, एक उच्च न्यायालय, जो चुनाव के बाद सुनवाई करेगा और दूसरा चुनाव से पूर्व एक अन्य प्राधिकारी। क्या यह नहीं हो सकता कि दोनों अलग-अलग निष्कर्षों पर पहुंचें? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने के बुद्धिहीन फासीवादी उन्माद में सरकार स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के आधारभूत मानदंडों से खिलवाड़ करने से भी नहीं हिचकिचा रही।

पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामाक्कल (ए आई आर 39) 1952 एस० सी० पैरा 9 पृष्ठ 68 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बिन्दु पर काफी जोर दिया है और यह स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालयों को भी चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से क्यों रोका गया है:

"प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या इस देश के निर्वाचन कानून में यह व्यवस्था है कि चुनाव प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों में दो प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की जा सकें, पहली तो यह कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के व्यापक क्षेत्राधिकार को अंतर्ग्रस्त करते हुए (न्यायालयों की सामान्य क्षेत्राधिकारिता को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है), और दूसरी, चुनाव याचिका द्वारा। मेरी राय में इस स्थिति को स्वीकार करना संविधान के भाग पन्द्रह की योजना तथा जनप्रतिनिधित्व कानून के विपरीत होगा और जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार किसी चुनाव को निष्प्रभावी बनाने की प्रक्रिया एक विशेष अभिकरण के समक्ष उचित तरीके से उचित चरण में ही शुरू की जानी चाहिए तथा इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष बीच के किसी चरण में शुरू नहीं किया जाना चाहिए।"

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति होस्बेट सुरेश ने दिनांक 15 अगस्त, 1993 के "द सण्डे टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित अपने तर्कसंगत लेख में संविधान (80वां संशोधन) विधेयक, 1993 के बारे में कहा था कि "यह धोखा है, एक षडयंत्र है।"

हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान तैयार करते समय जानबूझकर "पंथनिरपेक्ष" शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इस शब्द को प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था। इस अस्सीवें संशोधन के द्वारा अब अधूरे तरीके से इस शब्दावली की परिभाषा करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नये अनुच्छेद 24 क को जोड़ने का प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि "राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा" और आगे कहा गया है कि "राज्य किसी धर्म को अबाध रूप से नहीं मानेगा, अबाध रूप से आचरण नहीं करेगा और अबाध रूप से प्रचार नहीं करेगा।

हम समझते हैं कि यह पूर्णतया अनावश्यक है। यद्यपि इस प्रावधान के पहले भाग पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती परन्तु हमें इस बात की हैरानी अवश्य होती है कि सरकारी संस्थानों और सरकार पर दूसरे भाग के क्या व्यावहारिक परिणाम होंगे।

हमारे देश में सांस्कृतिक रीति रिवाज अधिकांशतः धार्मिक परम्पराओं से उपजे हैं—उदाहरण के लिए किसी समारोह के उद्घाटन पर दीप जलाने की परम्परा। आज तक भी केरल में मुस्लिम लीग के मंत्रियों द्वारा दीप जलाने से मना किया जाता है। इस नये संशोधन के बाद से क्या लीग की आपत्ति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जायेगा? तब क्या दूरदर्शन द्वारा दीवाली या ईद या क्रिसमस या गुरूनानक जयंती समारोहों को कवर करने से उसे संविधान के उल्लंघन का दोषी नहीं माना जायेगा?

बुरी नियत से बनाये गये ऐसे प्रावधान उन लोगों के लिए सही हो सकते हैं जो यह मानते हैं कि धर्म आम जनता के लिए अफीम के समान है। परन्तु अधिकांश भारतीय जनता, जिसके लिए उनका व्यक्तिगत धर्म उनकी नैतिक प्रेरणा का चिरंतन स्रोत है, के मतानुसार ऐसे प्रावधानों का यही अर्थ है कि सरकारी धर्मनिरपेक्षता मार्क्सवादी प्रभाव के अन्तर्गत न केवल छद्‌म धर्मनिरपेक्षता है बल्कि यह वस्तुतः धर्मविरोधी भी हो सकती है।

सांस्कृतिक आधारहीनता

चार दशक पूर्व डा॰ सम्पूर्णानन्द ने एक मित्र से कहा था कि कभी-कभी मात्र एक शब्द के गलत अनुवाद से किसी देश की चिन्तन शक्ति का सर्वनाश हो सकता है। उन्होंने यह बात धर्म को रिलीजन के रूप में अनुदित किये जाने के संदर्भ में कही थी।

धर्म को राजनीति से अलग किए जाने के नाम में पारित किये जाने वाले दोनों प्रस्तावित विधेयकों से डा॰ सम्पूर्णानन्द की अनिष्ट संबंधी यह पूर्व चेतावनी सही सिद्ध होती है।

विधेयकों के हिन्दी संस्करण में रिलीजन का अनुवाद अनिवार्यतः धर्म के रूप में किया गया है। सार्वजनिक जीवन से धर्म को समाप्त करना अपने आप में बुरा है। परन्तु सार्वजनिक जीवन से धर्म की अवधारणा को ही समाप्त कर देने से हमारे देश के आम आदमी को गहरा आघात लगेगा।

इन विधेयकों में धर्म अथवा धार्मिक प्रतीकों की परिभाषा का कोई प्रयास नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन अवधारणाओं की मनमानी व्याख्याएं की जा सकती हैं। तथापि इन चूकों में भी एक तर्क है। पश्चिमी तथा कतिपय पूर्वी सभ्यताओं के विपरीत, जिनमें धर्म को अधिकांशतः संहिताबद्ध किया गया है तथा विशिष्ट धार्मिक पुस्तकों एवं धार्मिक गुरूओं के पद क्रमों का अनुपालन किया जाता है, भारतीय लोकाचार में इस प्रकार की स्थिति विद्यमान नहीं है।

निःसंदेह दैनिक जीवन में धर्म संबंधी संकल्पना की बारम्बारिता धर्म से कहीं अधिक है। यह व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक, दोनों प्रकार की नैतिकता के नियमों, अच्छाई तथा बुराई और सही एवं गलत में भेद करने की क्षमता की द्योतक है। भागवत्‌गीता को धार्मिक पुस्तिका इसीलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें नैतिकता एवं नीति विषयक बातों की व्याख्या की गई है। इसी प्रकार, सार्वजनिक प्रवचनों में पारम्परिक रूप से महाभारत, रामायण और यहां तक की पौराणिक कथाओं के उदाहरणों का उल्लेख किया जाता है। भारतीय उत्तराधिकार की इस अमूल्य धरोहर को मृत धर्मसिद्धान्त में परिवर्तित करना अवांछित है। रिलीजन की अपेक्षा धर्म की सार्वजनिक जीवन में कहीं अधिक गहरी पैठ है, जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए यह नैतिकता की एक जीवन्त संहिता है।

श्री अरविन्द ने 16 मार्च, 1908 के भाषण में इस घटना का उल्लेख किया है: "ऐसा कहा गया है कि लोकतंत्र मानव अधिकारों पर आधारित है; यह उत्तर दिया गया है कि इसे मानव-कर्तव्यों पर विचार करना चाहिये; किन्तु अधिकार और कर्तव्य दोनों ही यूरोपीय विचार हैं। "धर्म" भारतीय धारणा है जिसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों ही विश्व दृष्टिकोण से उत्पन्न कृत्रिम प्रतिरोध को खो देते हैं जिससे स्वार्थ कार्य का कारण बन जाता है तथा उसकी गहन एवं निरन्तर एकता को बनाये रखता है, धर्म लोकतंत्र का आधार है जिसे एशिया को मानना चाहिये। इसी से एशिया और यूरोप की आत्मा में अन्तर मालूम होता है।" (श्री अरविन्द, इंडियाज रिबर्थ, इन्सटीट्यूट दे रिर्चचेस इवोल्यूटिवज, पेरिस पृष्ठ 37)

यह राष्ट्रवादी आन्दोलन के कार्यकरण के लिये केवल प्राचीन परम्परा से सम्बद्ध नहीं है। एक हाल ही के समकालीन विचारक, गिरिलाल जैन ने सभ्यता और राजनीति के बीच दीवार खड़ी करने की असंगति की ओर इशारा किया है। "यह कहना ठीक होगा" उन्होंने लिखा, "कि बाल्मिकि का राम मात्र सांस्कृतिक नायक नहीं है....... वह सबसे ऊपर है, सामुदायिक राज्य व्यवस्था की व्यवस्था हेतु एक आदर्श है। इसीलिए शक्ति को शील के रूप में उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अव्यय माना गया है (शील से अभिप्रेत है नैतिकता पूर्ण आचरण, जो परम्परागत बुद्धिमत्ता की सीमाओं से न बंधा हो)।"

गिरिलाल जैन का सुझाव था कि महात्मा गांधी ने अंतकरण से राम राज्य की सोच को बढ़ावा दियाः

"भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् वह भारत के जनजीवन को व्यवस्थित करने हेतु एक आदर्श धारणा की खोज कर रहे थे। उस खोज में उन्हें अवश्यंभावी राम ही नजर आये, अवश्यभावी इसीलिये क्योंकि जन-क्षेत्र में हिन्दुत्व के सार को किसी ने इतनी अच्छी तरह मूर्त रूप नहीं दिया था।"

सन्डे मेल
4 नवम्बर, 1990

तथापि, प्रस्तावित विधान दवारा धर्म की दुहाई देने पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये, और महाभारत तथा रामायण यहां तक कि राम राज्य पर कोई भी अस्पष्ट निर्देश से समकालीन मुद्दा उठता है जोकि चुनाव संबंधी अपराध है।

लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ही नहीं, महात्मा गांधी और श्री अरविन्द ये दोनों भी यदि आज जिन्दा होते तो उनका राजनैतिक बहिष्कार कर दिया जाता। आज सरकार और उसके सहयोगियों न केवल आधारहीन भारत बल्कि एक नीति निरपेक्ष हो नहीं अपितु, अनैतिक भारत की कल्पना की है।

इसके कल्पना के मूल में निसन्देह नव-धर्मनिरपेक्षता की राजनीति जो अल्पसंख्यकों पर आधारित है, की लोकप्रिय अधीरता है। परन्तु सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पुनरुत्थान का मोह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह भय रूढ़िगत हो गया है। पिछली शताब्दी में एक योरोपीय पादरी अब्बे डुलोइस इस अनोखे निष्कर्ष पर पहुंचा था कि हिन्दू कल्पना इस प्रकार की है कि उसे चमत्कार और असंयम के बिना नहीं चेताया जा सकता है। वेलन्टाइन किरोल का अलोकप्रिय ग्रंथ इण्डियन अनरेस्ट के प्राक्कथन में, जिसमें ब्रितानी लेखक ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर धर्म का राजनीति के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया था। सर एल्फर्ड लापल, जो एक उपनिवेशवादी प्रशासक था, इस बात को दोहराया है "......... लोकप्रिय हिन्दुत्व की धारणाएं और व्यवहार आधुनिक समता के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।" लापल ने सर्वाधिक चिन्ता बढ़ती हुई उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रति जतायी है। "भारत के किन्हीं-किन्ही भागों में बड़ी आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलती हैं , एक ही पार्टी प्रतिक्रियावादी और क्रान्तिकारी दोनों प्रकार के विचार रखती है, जो लोक प्रार्थना करते हैं वही क्रूर देवताओं के सामने बलिदान देते हैं और सरकार को राजद्रोही पत्रकारिता और प्रमुख लेखों में अत्यंत आधुनिक रूप में आदिम अन्धविश्वासों की पूजा करते हैं। धर्म के राजनीति के साथ तालमेल से हमेशा बहुत बड़ा घातक तत्व पैदा होता है, विशेष रूप से एशिया में।"

भारत की यह भी एक त्रासदी है कि देश की राजनीति के प्रबुद्ध लोगों के शक्तिशाली वर्गों ने अपने इन रूढ़िगत विश्वासों का अन्तराष्ट्रीयकरण कर लिया है और इस प्रकार सांस्कृतिक आधारहीनता में खतरनाक ढंग से योगदान कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी भारत की आत्मा को नष्ट करने के इस प्रयास की भर्त्सना करती है। हमारे लिए राष्ट्रीयता और संस्कृति अभिन्न हैं। वे सहजीवी रिस्ते के साथ रहने को बाध्य है, भारतीय जनता पार्टी भारत में धर्म-तांत्रिक राज्य की स्थापना करने के किसी प्रयास को अस्वीकार करती है। वह जाति, सम्प्रदाय, भाषा और विश्वास के आधार पर किसी भारतीय के विरुद्ध किसी भारतीय को खड़ा करने का भी विरोध करती है। हम सभी भारतीय इस गणतांत्रिक देश के बराबर नागरिक हैं जिनके लिए समान कानून होने चाहिए।

इसके साथ ही हम इस बात से सहमत हैं कि भारत को एक अदम्य उत्साही राष्ट्र बनाने के लिये विधान बनाने की अपेक्षा हमें और भी बहुत कुछ करना है ताकि हम इसकी क्षमता के अनुरूप जीवन जी सकें। अपनी राष्ट्रीय शक्ति के लिये हमें जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है एक राष्ट्रवादी मंत्र जो भूत, वर्तमान और भविष्य को सूत्रबद्ध किये हुये है। इस राष्ट्रवाद का आधार हमारी संस्कृति और विरासत है। यदि हम वेदों, रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य, गुरू नानक, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण तथा अन्य अनगिनत राष्ट्र नायकों से प्राप्त विरासत को राष्ट्रवाद से अलग कर दें तो फिर हमारे लिये इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यह राष्ट्रवाद हमारा धर्म भी है।

यदि सरकार किसी न किसी बहाने इस विश्वास को तोड़ना चाहती है, तो यह उसके लिये आत्मघाती होगा। अपने अधर्म से धर्म की जड़ों को न तो महमूद गजनवी उखाड़ सका और न ही औरंगजेब। यह भ्रष्ट सरकार भी इसमें सफल नहीं होगी।

भविष्य में भारत के एक लोकतंत्र के रूप से कार्य करने पर प्रस्तावित विधान के गंभीर परिणामों को उजागर किया गया है। इसके अतिरिक्त विधेयक में सत्तावादी पहलुओं को छोड़कर देश की मूल संस्कृति को पुनः परिभाषित करने और जन जीवन में इसकी भिन्न और अपरिचित परिभाषा थोपने का कुत्सित प्रयास किया गया है। यह राष्ट्र की आत्मा को नष्ट करने का घृणित प्रयास है। अतः हम अपना सख्त विरोध मत दर्ज करते हैं।

नई दिल्ली;
20 अगस्त, 1993

लाल कृष्ण आडवाणी
जसवंत सिंह
सिकंदर बख्त
गुमान मल लोढा

V

संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को इन दोनों विधेयकों को भेजना बहुत ही समुचित रहा है। यद्यपि प्रवर समिति द्वारा मूल विधेयकों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं; तथापि मैं प्रवर समिति की सिफारिशों तथा इन विधेयकों में कुछ खंडों की अवधारणा से सहमत नहीं हूं जिन्हें नीचे दिया गया है:

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक

1. संविधान के भाग तीन में नये अनुच्छेद विधेयक के खंड 24क से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के खंड 2 में, यह उल्लिखित है कि "राज्य समान सम्मान करेगा और किसी धर्म का प्रदर्शन, कार्यान्वयन अथवा प्रचार नहीं करेगा।" मेरी राय है कि इससे वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जब तक कि राज्य सभी धर्मों के साथ एक सा व्यवहार नहीं करेगा जिससे कि राज्य के कार्यों में धर्मों के मामले में राज्य की निरपेक्षता बनी रहे। राज्य किसी विशेष धर्म को अपनी पहचान नहीं बनायेगा अथवा संरक्षण नहीं देगा, और राज्य सभी धर्मों के साथ व्यवहार करने के मामले में कठोर निरपेक्षता भी बरतेगा और दो विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच हित के किसी विवाद में किसी का पक्ष नहीं लेगा। अतः प्रतिवेदन में वर्तमान खण्ड का जो संशोधन रखा गया है, वह संविधान के प्राक्कथन में यथा प्रतिष्ठापित अपना धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बनाये रखने के राज्य के वचन के संदर्भ में अपर्याप्त है।

2. अनुच्छेद 35क में परिवर्तन करते हुये संविधान संशोधन विधेयक के खंड 3 के संबंध में, मैं सर्वोपरि खंड अर्थात् "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" का लोप करने के लिये सहमत हूं, जिसके द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों का उपयोग करने पर जो प्रतिबंध लगाये गये हैं, उसे हटा दिया गया है। तथापि, धर्म के कथित दुरुपयोग करने पर संघ अथवा व्यक्तियों के समूह को प्रतिबंधित करने के लिये इस अनुच्छेद में राज्य विधान मंडलों को शक्ति प्रदान हेतु किये गये संशोधन अस्वीकार्य हैं क्योंकि इसका सरलता से दुरुपयोग किया जाना संभव है और राज्य स्तर पर यह शरारत का स्रोत बन सकता है। यदि कोई राज्य सरकार अपनी बुद्धि से राज्य में विशेष संगठन को प्रतिबंधित करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है, तो उस विशेष संगठन को अपनी गतिविधियां पड़ौसी राज्य अथवा राज्यों में स्थानांतरित करना सरल हो जायेगा। इसी प्रकार, राज्य सरकार इस शक्तिशाली हथियार को किसी भी ऐसे संगठन के विरुद्ध सिर पर लटकती तलवार के समान इस्तेमाल कर सकती है जिसकी उस राज्य के साथ पटरी नहीं बैठती। यदि इस प्रकार के कानून बनाने की शक्ति किसी को दी जाती है तो वह केवल देश की संसद को दी जानी चाहिये जिसका वह अपनी सामूहिक बुद्धि से प्रयोग कर सके।

लोगों में घृणा और शत्रुता का भाव उत्पन्न करने पर किसी संगठन को प्रतिबंधित करने के लिये देश में कानून की कमी नहीं है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच घृणा अथवा शत्रुता फैलाने वाले राजनीतिक दलों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु विद्यमान कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल न करने का कारण प्रशासन में केवल राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। यदि कोई कानून बनाने का विचार है ही तो वह ऐसे संगठन को प्रतिबंधित करने के लिये बनाया जाना चाहिये जो हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को हानि पहुंचाये अथवा हानि पहुंचाने का प्रयास करे और कानून को तदनुसार ही संशोधित किया जाना चाहिये। लोकतंत्र के समुचित संचालन और राष्ट्रीय एकता तथा भाई-चारे के विकास हेतु हिंसा और साम्प्रदायिक घृणा का प्रचार करने वाले किसी संगठन को बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। किन्तु यह नया अनुच्छेद 28-क, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा सिफारिश की गई है, लोगों के उस निकाय अथवा उस संघ पर प्रतिबंध लगाने की सांविधानिक अपेक्षा को पूरा नहीं करता जो हिंसा, सांप्रदायिक नफरत और साथ ही फासीवादी प्रणाली के कार्यकरण की शिक्षा देते हों और उससे संविधान की पंथनिरपेक्ष छवि को हानि पहुंचाता हो।

3. जहां तक, धर्म के दुरुपयोग के आधार पर संसद अथवा राज्य विधान मण्डलों के दोनों में से किसी एक सभा को सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की अनर्हता करने का नया प्रावधान जोड़ने के अनुच्छेद 102 और 191 के संदर्भ जोड़ने में खंड 4 और 5 का संबंध है, मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के प्रयोग का कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता है। अभियान के दौरान धर्म के दुरुपयोग को हमें समाप्त कर देना चाहिए। किन्तु इन खंडों का, जैसा कि अनुच्छेद 102 और 191 में व्यक्त किया गया है, निर्वाचन अभियान में दुरुपयोग किया जा सकता है, कम से कम उन व्यक्तियों द्वारा जिनके संबंध प्रत्याशी से शत्रुतापूर्ण हों। इससे। निर्वाचन अभियान के दौरान किसी प्रत्याशी को अपने कर्तव्य निभाने के अधिकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई इन नई अनर्हता की समग्रता पर विचार करे, जैसी कि रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, यह इतना अनिष्टकर है कि कोई प्रत्याशी अपने निर्वाचन अभियान के दौरान प्राधिकारी के जाल में फंस सकता है, केवल इसी बात पर कि वह शुक्रवार को नमाज पढ़ने मस्जिद गया अथवा रविवार को गिरिजाघर गया अथवा अपने अभियान को दौरान अन्यत्र किसी भी धार्मिक समारोह में गया। ऐसे संवदेनशील मुद्दों पर धर्म के दुरुपयोग के नाम पर किसी प्रत्याशी के विरुद्ध कोई भी शिकायत कर सकता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने के बदले अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए इन अधिकारियों के पीछे भागना होगा क्योंकि अधिकारियों के पास उसे निर्वाचन तिथि से पूर्व ही अयोग्य घोषित करने का अधिकार होगा। यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचन तिथि के पूर्व अयोग्य घोषित करने का कड़ा कदम उठाया जाता है, तो अयोग्य घोषित उम्मीदवार का नाम मतपत्र पर आने से जो भ्रम पैदा होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे अधिकारी का वह निर्णय बाद में अपीलीय निकाय द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो उस उम्मीदवार

का क्या होगा जिसे पहले ही सफल घोषित कर दिया गया है और जो अयोग्य ठहराये गए उम्मीदवार के विरुद्ध इस अयोग्य करार देने के मुकदमें से किसी भी तरह नहीं जुड़ा है। मेरे विचार से चुनाव पूर्व अयोग्य करार देने के इस अधिकार को एक अधिकारी को देने में स्पष्ट खतरा छिपा है। इससे न केवल, प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। मतदाताओं में भ्रम पैदा होंगें, उम्मीदवार के लोकतांत्रिक अधिकारों को चोट पहुंचेगी बल्कि यह अव्यावहारिक भी सिद्ध होगा। इसलिए हमें वर्तमान वैधानिक प्रावधानों को प्रभावी बनाना होगा जिससे कि किसी उम्मीदवार को उसके नामांकन की छानबीन के समय ही अयोग्य घोषित किया जा सके और मैं चुनाव पूर्व अयोग्य ठहराये जाने वाले खण्ड का लोप किए जाने के पक्ष में हूं।

जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम

1. धारा 29 क के संबंध में विधेयक के खंड 2 में, वर्तमान परन्तुक के स्थान पर एक नया परन्तुक रखा गया है जिसमें चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई है, यदि यह कोई धार्मिक नाम धारण करता है तथा इस आधार पर भी कि यह उप-धारा 5(क) के अधीन नियमों तथा विनियमों के अनुरूप नहीं है। मैं विधेयक में प्रस्तावित खंड के प्रथम भाग का लोप कराने के लिए, अर्थात् "यदि राजनीतिक दल कोई धार्मिक नाम धारण करता है" प्रवर समिति के सदस्यों को मनाने में असफल रहा।

मैं समझ नहीं पा रहा कि किस प्रकार एक साधारण धार्मिक नाम चुनावी गतिविधि में तबाही ला सकता है। किसी नाम में क्या रखा है? इसकी विचारधारा अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सांप्रदायिक विष का वमन करने में लगे हैं तथा असहाय धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा तथा घृणा का प्रचार करते रहते हैं। किन्तु इन राजनीतिक दलों ने भी सुन्दर राष्ट्रीय नाम धारण कर रखे हैं। दूसरी ओर, ऐसे राजनीतिक दल हैं, जिनके धार्मिक नाम हैं किन्तु इनकी राजनीतिक अथवा चुनावी गतिविधियों में धर्म के साथ कुछ भी लेना-देना नहीं होता। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत अनेक धर्मों तथा विश्वासों को मानने वालों का देश है धर्म के साथ कुछ भी गलत नहीं हैं। ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके नाम धार्मिक नहीं हैं तथा जो अन्य धर्मों के विरुद्ध अनवरत कार्य कर रहे हैं और निर्बाध कार्य कर रहे है। इन दलों को चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि उन्होंने कोई धार्मिक नाम धारण नहीं कर रखा है।

हम धर्म से संबंधित ऐसे अनेक नामों के सम्पर्क में आते हैं जिनकी आस्था धर्मनिरपेक्ष होती है तथा इनका किसी एक धर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता और न ही इसको बढ़ावा देने में कोई योगदान होता है। उदाहरणार्थ, समाचार पत्र "हिन्दू" प्रत्येक भारतीय पाठक के लिए एक राजनीतिक दस्तावेज है परन्तु यह देश के अत्यन्त धर्मनिरपेक्ष समाचार पत्रों में से एक है और इस समाचार पत्र के नाम का इसके समाचारों और उनकी विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं है। दूसरी ओर, यदि किसी बदसूरत औरत का नाम सुन्दरी हो तो क्या वह औरत मात्र इस नाम के रखने से सुन्दर हो जायेगी? अतः किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण सिर्फ इस आधार पर रद्द करना कि इसका नाम धार्मिक है, मेरे विचार से यह बात अस्वीकार्य और रद्द करने योग्य है। अतः इस प्रकार के उपबंध को इस खंड में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता देने के संबंध में संविधान में उपबंध हैं और कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु संविधान के उपबंधों के अनुसार एक धार्मिक अल्पसंख्यक होने के नाते धार्मिक नाम से किसी राजनीतिक दल का गठन करता है तो इस प्रकार के किसी संगठन का पंजीकरण मात्र इस आधार पर मना किया जाता है कि उसका नाम धार्मिक है तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा। धारा 29ख के संबंध में विधेयक के खंड 3 के अनुसार धार्मिक नाम होने के आधार पर पंजीकरण रद्द करना सर्वथा अनुचित है। यदि किसी राजनीतिक दल को जिसे धारा 29ख की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार अपना नाम बदलने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसा कि विधेयक में कहा गया है, तो मैं यह कह सकता हूं कि यह उस राजनीतिक दल को अपना इतिहास त्यागकर नया राजनीतिक दल बनाने के लिए बाध्य करना है। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के संविधान में दिये गये मूलभूत अधिकारों से यह मेल नहीं खाता।

एक लोकतांत्रिक देश में, किसी राजनीतिक दल के अधिकार उसके धार्मिक नाम होने के कारण अभिशप्त नहीं होने चाहिए। पश्चिमी लोकतंत्र में ऐसे बहुत से राजनीतिक दल मौजूद हैं जिनके नाम धार्मिक हैं परन्तु उनकी आस्थाएं धर्मनिरपेक्ष हैं।

भारत अनेक धर्मों और अनेक जातियों वाला देश होने के कारण धार्मिक नाम वाले राजनीतिक दलों के अस्तित्व को नहीं नकार सकता तथा धार्मिक नामों वाले ऐसे दलों को चुनाव में मना लेने से रोकने का अर्थ होगा संवैधानिक गारन्टी को नकारना। मैं नहीं समझता कि हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का मूलभूत आधार इतना कमजोर है कि वह धार्मिक नामों वाले राजनीतिक दल के चुनाव में भाग लेने से छिन्न-भिन्न हो जायेगा।

नई दिल्ली;

20 अगस्त, 1993

ई० अहमद

[दि कांस्टीट्यूशन (एट्टीएथ अमेंडमेंट) बिल, 1993 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993

(संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार)

[पार्श्व रेखांकित शब्द समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को द्योतित करते हैं]

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 1993 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. नए अनुच्छेद 24क का अन्तःस्थापन: संविधान के भाग 3 में, "धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार" शीर्षक के नीचे और अनुच्छेद 25 के पूर्व निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाना: "24क. राज्य,—

(क) सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा; और

(ख) किसी धर्म को न तो मानेगा और न उसका आचरण या प्रचार करेगा।"।

3. नए अनुच्छेद 28क का अन्तःस्थापन: संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 28 के पश्चात् और "संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार" शीर्षक के पूर्व निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

कुछ संगमों पर पाबन्दी लगाने के लिए विधान: "28क. (क) संसद् या किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगा कि व्यष्टियों के किसी संगम या निकाय पर पाबन्दी लगाई जाए यदि वह, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य-रूपणों द्वारा या अन्यथा, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करता है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विधि में पाबन्दी लगे व्यष्टियों के संगम या निकाय की जंगम या स्थावर संपत्ति के समपहरण के लिए उपबंध और अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक उपबंध किए जा सकेंगे।"

4. नए अनुच्छेद 102क का अन्तःस्थापन: संविधान के अनुच्छेद 102 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

धर्म के दुरुपयोग के कारण सदस्यता के लिए निरर्हता: "102क. (1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति संसद् के लिए निर्वाचन के लिए तीसरी अनुसूची में उस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् वह या उसकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति, अपने निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए,—

(i) उसके धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अपील करता है या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करता है या उनकी दुहाई देता है; या

(ii) विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर सौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करता है।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (1) के अधीन निरर्हता के प्रश्न का अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए।"।

5. नए अनुच्छेद 191क का अन्तःस्थापनः संविधान के अनुच्छेद 191 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

धर्म के दुरुपयोग के कारण सदस्यता के लिए निरर्हताः "191क. (1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन के लिए तीसरी अनुसूची में उस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात्, वह या उसकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति, अपने निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए,—

(i) उसके धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अपील करता है या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करता है या उनकी दुहाई देता है; या

(ii) विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करता है।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, विधि द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (1) के अधीन निरर्हता के प्रश्न का अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए।"।

6. अनुच्छेद 329 का संशोधनः संविधान के अनुच्छेद 329 के प्रारंभिक भाग में, "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" शब्दों के पश्चात् "किन्तु अनुच्छेद 102क और अनुच्छेद 191क के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. नवीं अनुसूची का संशोधनः संविधान की नवीं अनुसूची की प्रविष्टि 257 के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"258 धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 41)।"।

[दि रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल्स (अमेंडमेंट) बिल, 1993 का हिन्दी अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993

(संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार)

[पार्श्व रेखांकित शब्द समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को और तारांकित चिन्ह लोपों को द्योतित करते हैं]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम : इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1993 है।

2. धारा 29क का संशोधन : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 29क में,— 1951 का 43

(i) उपधारा (7) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु कोई संगम या निकाय इस उपधारा के अधीन राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा, यदि—

(क) उस संगम या निकाय का कोई धार्मिक नाम है, या

(ख) संगम या निकाय का ज्ञापन या नियम और विनियम उप धारा (5) के उपबंधों के अनुरूप नहीं है;";

(ii) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(8) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के अधीन आयोग के विनिश्चय की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी:

परन्तु इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, आयोग के विनिश्चय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी:

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संगम या निकाय के पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने के लिये पर्याप्त कारण था।"।

3. नई धारा 29ख का अंतःस्थापन : मूल अधिनियम के भाग 4क में, धारा 29क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"29ख. राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण वापस लिया जाना : (1) जहां,—

(क) किसी राजनैतिक दल का कोई धार्मिक नाम है, या

(ख) राजनैतिक दल का ज्ञापन या नियम और विनियम 29क की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुरूप नहीं रहे है, या

(ग) राजनैतिक दल विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करता है,

वहां धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में उसका रजिस्ट्रीकरण उस उच्च न्यायालय के, जिसकी अधिकारिता के भीतर उस राजनैतिक दल का मुख्य कार्यालय स्थित है, आदेश द्वारा रद्द किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

(2) यह परिवाद प्राप्त होने पर कि उपधारा (1) के अधीन किसी राजनैतिक दल का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिये पर्याप्त कारण है, उच्च न्यायालय प्रभावित राजनैतिक दल को लिखित सूचना द्वारा, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगा कि राजनैतिक दल का रजिस्ट्रीकरण क्यों न रद्द किया जाए:

परन्तु जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि राजनैतिक दल का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिये पर्याप्त कारण है वहां वह परिवाद को संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा।

(3) राजनैतिक दल***द्वारा दर्शित कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और राजनैतिक दल,***से ऐसी जानकारी मांगने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय कर सकेगा कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिये पर्यात कारण है या नहीं और परिवाद को खारिज करते हुये या राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करते हुये ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) यदि राजनैतिक दल, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारंभ के नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपना धार्मिक नाम बदल लेता है तो उपधारा (2) के अधीन कोई परिवाद, उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट आधार पर उच्च न्यायालय को नहीं होगा।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय के किसी आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी:

परन्तु इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी:

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि राजनैतिक दल के पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने के लिये पर्याप्त कारण था।"।

परिशिष्ट एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा-2)

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, 20 सदस्य इस सभा से हों अर्थात्:—

1. श्री अब्दुल गफूर
2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
3. श्री ई॰ अहमद
4. श्री पवन कुमार बंसल
5. श्री सोमनाथ चटर्जी
6. श्री पी॰ चिदम्बरम
7. श्री शरद दिघे
8. श्री दिग्विजय सिंह
9. श्री जार्ज फर्नान्डीज
10. श्री अशोक गहलोत
11. श्री नुरूल इस्लाम
12. श्री जसवंत सिंह
13. श्री भोगेन्द्र झा
14. श्री गुमान मल लोढा
15. श्री रशीद मसूद
16. श्री के॰ एम॰ मैथ्यू
17. श्री विलास मुत्तेमवार
18. श्री के॰ पी॰ रेड्डय्या यादव
19. कुमारी विमला वर्मा
20. श्री चन्द्रजीत यादव

और 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति 16 अगस्त, 1993 तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

कि संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के कार्य संचालन नियम अन्य मामलों में उन रूपभेदों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष करे, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये गये 10 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे"।

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने हेतु राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक से संबंधित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, 20 सदस्य इस सभा से हों अर्थात्:—

1. श्री अब्दुल गफूर
2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
3. श्री ई॰ अहमद
4. श्री पवन कुमार बंसल
5. श्री सोमनाथ चटर्जी
6. श्री पी॰ चिदम्बरम
7. श्री शरद दिघे
8. श्री दिग्विजय सिंह
9. श्री जार्ज फर्नान्डीज
10. श्री अशोक गहलोत
11. श्री नुरूल इस्लाम
12. श्री जसवंत सिंह
13. श्री भोगेन्द्र झा
14. श्री गुमान मल लोढा
15. श्री रशीद मसूद
16. श्री के॰ एम॰ मैथ्यू
17. श्री विलास मुत्तेमवार
18. श्री के॰ पी॰ रेड्डय्या यादव
19. कुमारी विमला वर्मा
20. श्री चन्द्रजीत यादव

और 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति 16 अगस्त, 1993 तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

कि संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के कार्य संचालन नियम अन्य मामलों में उन रूपभेदों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष कहे, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये गये 10 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे"।

परिशिष्ट दो

(देखिए प्रतिवेदन के पैरा-3)

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने हेतु राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक से संबंधित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया है:—

1. श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद
2. श्री चतुरानन मिश्र
3. श्री सत्य प्रकाश मालवीय
4. श्री सिकन्दर बख्त
5. श्री आर० के० धवन
6. श्री मदन भाटिया
7. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे
8. श्री रामचन्द्रन पिल्ले
9. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
10. श्री मेन्नै पद्मनाभम"

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने हेतु राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक से संबंधित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया:—

1. श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद
2. श्री चतुरानन मिश्र
3. श्री सत्य प्रकाश मालवीय
4. श्री सिकन्दर बख्त
5. श्री आर० के० धवन
6. श्री मदन भाटिया
7. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे
8. श्री रामचन्द्रन पिल्ले
9. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
10. श्री मेन्नै पद्मनाभम"

परिशिष्ट तीन

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 7)

उन संघों/संगठनों, व्यक्तियों की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए

1, श्री मुरासोली मारन, संसद सदस्य (राज्य सभा)
डी॰ एम॰ के॰ संसदीय दल के नेता
मद्रास-600034

2. श्री विश्वबंधु गुप्ता,
महासचिव,
फेडरेशन आफ लेजिस्लेटर्स आफ इण्डिया,
नई दिल्ली

3. श्री राजीव धवन,
निदेशक
पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिगल सपोर्ट एण्ड रिसर्च सेंटर
नई दिल्ली

परिशिष्ट चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 8)

साक्षियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया

1. श्री पी॰जी॰ नारायणन,
   लोक सभा में अन्ना द्रमुक
   संसदीय दल के नेता,
   नई दिल्ली-110001

2. शिरोमणि अकाली दल (लोंगोवाल) नई दिल्ली
   प्रतिनिधि·

   1. जत्थेदार ओंकार सिंह थापर,
      अखिल भारतीय महासचिव

   2. श्री आर॰एस॰ सोढी, सलाहकार

   3. श्री गुरदीप सिंह दुआ

   4. श्री नानक सिंह

3. श्री सतीश प्रधान, संसद सदस्य (राज्य सभा),
   शिव सेना संसदीय दल के नेता
   नई दिल्ली।

परिशिष्ट पांच

संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993 और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही-सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक, मंगलवार, 10 अगस्त, 1993 को 15.00 बजे से 17.15 बजे तक समिति कमरा संख्या "बी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पवन कुमार बंसल—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
3. श्री ई॰ अहमद
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री जार्ज फर्नान्डीज
6. श्री नुरूल इस्लाम
7. श्री के॰एम॰ मैथ्यू
8. कुमारी विमला वर्मा
9. श्री के॰ पी॰ रेड्डय्या यादव
10. श्री अब्दुल गफूर
11. श्री जसवंत सिंह

राज्य सभा

12. मुफ्ती मुहम्मद सईद
13. श्री चतुरानन मिश्र
14. श्री सिकन्दर बख्त
15. श्री आर॰ के॰ धवन
16. श्री सुशील कुमार सांभाजीराव शिंदे
17. श्री रामचन्द्रन पिल्लै

सचिवालय

1. श्री जी॰एल॰ बत्रा—अपर सचिव
2. श्री एस॰सी॰ गुप्ता—संयुक्त सचिव
3. श्री राम कुमार—अवर सचिव

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी॰ पी॰ आर॰ नैयर, विशेष सचिव

2. श्री आर॰ बालाकृष्णन, सलाहकार

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा॰ पी॰सी॰ राव, सचिव, विधि कार्य विभाग

2. श्री बी॰ एस॰ सलूजा, संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार, विधायी विभाग

2. श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्री विद्याचरण शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, जो समिति के सदस्य नहीं थे, ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. प्रारंभ में सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति को जांच हेतु भेजे गए विधान के अंश के महत्व तथा अविलम्बनीयता की ओर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया।

4. सभापति ने ध्यान दिलाया कि सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार समिति को 16 अगस्त, 1993 तक सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। चूंकि इतना समय विचार-विमर्श के लिए बहुत कम था, समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय 20 अगस्त, 1993 तक बढ़ाए जाने की मांग करने का निर्णय लिया।

5. समिति ने विधेयकों पर दो चरणों में विचार करने का निर्णय लिया—प्रथम, विधेयक में अन्तर्निहित सिद्धांतों पर आम चर्चा तथा दूसरे समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधनों को ध्यान में रखते हुए विधेयक पर खंडवार विचार किया।

6. तत्पश्चात् सभापति ने घोषणा की कि वे सदस्य जो संशोधन की सूचनाएं देना चाहते हैं, वे शनिवार, 14 अगस्त, 1993 को 11.00 बजे तक ऐसी सूचनाएं दे सकते हैं।

7. तत्पश्चात् समिति ने 12 अगस्त, 1993 को निर्धारित अपनी अगली बैठक में विधेयकों के प्रावधानों के संबंध में गृह मंत्री और विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के विचार सुनने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 12 अगस्त, 1993 को 09.00 बजे से 11.00 बजे तक समिति कमरा संख्या 63, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पवन कुमार बंसल — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
3. श्री ई० अहमद
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री पी० चिदम्बरम
6. श्री जार्ज फर्नान्डीज
7. श्री नुरूल इस्लाम
8. श्री के०एम० मैथ्यू
9. कुमारी विमला वर्मा
10. श्री शरद दिघे
11. श्री के०पी० रेड्डय्या यादव
12. श्री अशोक गहलोत
13. श्री अब्दुल गफूर
14. श्री गुमान मल लोढा
15. श्री जसवंत सिंह
16. श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य सभा

17. मुफ्ती मुहम्मद सईद
18. श्री चतुरानन मिश्र
19. श्री आर० के० धवन
20. श्री मदन भाटिया
21. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
22. श्री रामचन्द्रन पिल्ले
23. श्री सुब्रहमण्यम स्वामी
24. श्री मैन्ते पद्मनाभन

सचिवालय

1. श्री एस०सी० गुप्ता — संयुक्त सचिव
2. श्री आर०के० चटर्जी— उप सचिव
3. श्री राम कुमार — अवर सचिव

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री टी०एन० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव
2. श्री आर० बालाकृष्णन, सलाहकार

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के॰ एल॰ मोहनपुरिया, सचिव, विधायी विभाग
2. श्री ए॰ सी॰ सी॰ उन्नी, अपर सचिव, विधायी विभाग
3. डा॰ एस॰ सी॰ जैन, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

2. श्री विद्याचरण शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री जो समिति के सदस्य नहीं थे, ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने दो विधेयकों के प्रावधानों के संबंध में एस॰ बी॰ चव्हाण, गृह मंत्री और श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के विचार सुने।

4. समिति ने विधेयकों के प्रावधानों के बारे में आम चर्चा की लेकिन महसूस किया कि यदि सरकार विधेयकों में कुछ संशोधन करना चाहती है तो ये संशोधन शीघ्र ही किए जाने चाहिए ताकि सदस्य 14 अगस्त, 1993 को 1100 बजे तक संशोधन की सूचनाएं दे सकें।

तत्पश्चात् समिति की बैठक 16 अगस्त, 1993 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 16 अगस्त, 1993 को 9.00 बजे से 11.00 बजे तक समिति कमरा संख्या 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पवन कुमार बंसल — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एल० के० आडवाणी
3. श्री ई० अहमद
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री पी० चिदम्बरम
6. श्री जार्ज फर्नान्डीज
7. श्री नुरूल इस्लाम
8. श्री के० एम० मैथ्यू
9. श्री शरद दिघे
10. श्री अशोक गहलोत
11. श्री रशीद मसूद
12. श्री इन्द्रजीत गुप्त
13. श्री गुमान मल लोढा
14. श्री जसवंत सिंह
15. श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य सभा

16. मुफ्ती मुहम्मद सईद
17. श्री चतुरानन मिश्र
18. श्री सत्य प्रकाश मालवीय
19. श्री सिकन्दर बख्त
20. श्री आर० के० धवन
21. श्री मदन भाटिया
22. श्री सुशील कुमार सांभाजीराव शिंदे
23. श्री रामचन्द्रन पिल्ले
24. श्री सुब्रहमण्यम स्वामी
25. श्री मैन्टे पद्मनाभम

सचिवालय

1. श्री जी० एल० बत्रा — अपर सचिव
2. श्री एस० सी० गुप्ता — संयुक्त सचिव
3. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन॰ एन॰ वोहरा, गृह सचिव
2. श्री टी॰ एन॰ .श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव
3. श्री आर॰ बालाकृष्णन, परामर्शदाता

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा॰ पी॰ सी॰ राव—सचिव (विधि कार्य विभाग)
2. श्री के॰ एल॰ मोहनपुरिया—सचिव (विधायी विभाग)
3. श्री ए॰ सी॰ सी॰ उन्नी—अवर सचिव (विधायी विभाग)
4. श्री बी॰ एस॰ सलूजा—संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार (विधायी विभाग)
5. डा॰ एस॰ सी॰ जैन—संयुक्त सचिव और विधि परामर्शदाता (विधि कार्य विभाग)

2. श्री एस॰ बी॰ चव्हाण, गृह मंत्री, श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज, विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्री विद्याचरण शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री ने, जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 299 के अंतर्गत सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. कुछ सदस्यों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर आपत्ति की जो कि उनके विचार में विधेयकों उपबंधों को बहुत अधिक प्रभावित करते थे और जो विधेयक के उद्देश्यों और प्रयोजन से परे थे।

4. जब कुछ सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि संविधान में विद्यमान प्रावधान और वर्तमान नियम स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं तो विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन उपबंधों में धार्मिक संघों और निकायों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और राजनैतिक उद्देश्यों से धर्म का दुरूपयोग करने वाले राजनैतिक दलों को अपंजीकृत करने के लिए विशेषरूप से प्रावधान नहीं हैं।

5. समिति मुख्य चुनाव आयुक्त का साक्षय लेने के पक्ष में नहीं थी। कुछ सदस्य इस निर्णय का विरोध करते हुए समिति की बैठक से उठकर बाहर चले गये।

6. तत्पश्चात् समिति ने संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993 पर खंडवार विचार किया। विधेयक के खण्ड 2 पर चर्चा चल रही थी।

समिति की बैठक उसी दिन 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 16 अगस्त, 1993 को 15.00 बजे से 16.45 बजे तक समिति कमरा संख्या 50, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पवन कुमार बंसल — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ई० अहमद
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री जार्ज फर्नान्डीज
5. श्री नुरूल इस्लाम
6. श्री के० एम० मैथ्यू
7. कुमारी विमला वर्मा
8. श्री शरद दिघे
9. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव
10. श्री अशोक गहलोत
11. श्री इन्द्रजीत गुप्त
12. श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य सभा

13. मुफ्ती मुहम्मद सईद
14. श्री चतुरानन मिश्र
15. श्री आर० के० धवन
16. श्री मदन भाटिया
17. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
18. श्री रामचन्द्रन पिल्ले
19. श्री मैन्ते पद्मनाभम

सचिवालय

1. श्री जी० एल० बत्रा — अपर सचिव
2. श्री एस० सी० गुप्ता — संयुक्त सचिव
3. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
4. श्री राम कुमार — अवर सचिव

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० एन० वोहरा —गृह सचिव
2. श्री पी० पी० आर० नायर —विशेष सचिव
3. श्री आर० बालाकृष्णन —परामर्शदाता
4. श्री टी० एन० श्रीवास्तव —संयुक्त सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए० सी० सी० उन्नी —अपर सचिव, (विधायी विभाग)
2. श्री बी० एस० सलूजा —संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता विधायी विभाग
3. डा० एस० सी० जैन —संयुक्त सचिव और विधि परामर्शदाता, विधि कार्य विभाग

2. श्री विद्याचरण शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री ने, जो संयुक्त समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति का विचार था कि जिन राजनैतिक दलों को समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है जैसे अकाली दल, डी एम के, ए आई ए डी एम के, शिव सेना आदि, उन्हें समिति के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया जाये। अन्ततः समिति ने 17 अगस्त, 1993 को दलों के प्रतिनिधियों का साक्षय लेने का निर्णय किया।

4. तत्पश्चात्, समिति ने संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993 पर खंडवार विचार करना पुनः आरंभ किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

समिति की बैठक 17 अगस्त, 1993 को प्रातः 9.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 17 अगस्त, 1993 को 0900 बजे से 10.45 बजे तक समिति कमरा संख्या 63, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पवन कुमार बंसल — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
3. श्री ई॰ अहमद
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री पी॰ चिदम्बरम
6. श्री जार्ज फर्नान्डीज
7. श्री नुरूल इस्लाम
8. श्री के॰ एम॰ मैथ्यू
9. श्री शरद दिघे
10. श्री के॰ पी॰ रेड्डय्या यादव
11. श्री अशोक गहलोत
12. श्री इन्द्रजीत गुप्त
13. श्री अब्दुल गफूर
14. श्री गुमान मल लोढा
15. श्री जसवंत सिंह
16. श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य सभा

17. मुफ्ती मुहम्मद सईद
18. श्री चतुरानन मिश्र
19. श्री सत्यप्रकाश मालवीय
20. श्री सिकन्दर बख्त
21. श्री आर॰ के॰ धवन
22. श्री मदन भाटिया
23. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे
24. श्री रामचन्द्रन पिल्ले
25. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
26. श्री मैन्ते पद्मनाभन

सचिवालय

1. श्री जी॰ एल॰ बत्रा — अपर सचिव
2. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव
3. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — उप सचिव
4. श्री रामकुमार — अवर सचिव

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० एन० वोहरा —गृह सचिव
2. श्री पी० पी० आर० नायर —विशेष सचिव
3. श्री आर० बालाकृष्णन —सलाहकार
4. श्री टी० एन० श्रीवास्तव —संयुक्त सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा० पी० सी० राव —सचिव (विधि कार्य विभाग)
2. श्री ए० सी० सी० उन्नी —अपर सचिव
3. श्री बी० एस० सलूजा —संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार (विधायी विभाग)
4. डा० एस० सी० जैन —संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार (विधायी मामलों सम्बन्धी विभाग)

2. श्री एच० आर० भारद्वाज, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्री विद्याचरण शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, जोकि समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से, बैठक में उपस्थित हुए।

3. समिति ने संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993 पर खण्डवार चर्चा शुरू की।

4. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के उपबंधों पर श्री पी० जे० नारायणन, संसद सदस्य तथा लोक सभा में अन्नाद्रमुक (ए० आई० ए० डी० एम० के०) संसदीय दल के नेता का मौखिक साक्ष्य लिया।

(साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया)

5. समिति ने विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा शुरू की। समिति ने यह महसूस किया कि विधेयक के खण्ड 2 में अन्तर्विष्ट प्रस्तावित अनुच्छेद 28क का विस्तांतरण किए जाने की आवश्यकता है। समिति ने तदनुसार विद्यमान खण्ड के स्थान पर एक नया खण्ड 2 प्रतिस्थापित किया जाये जोकि इस प्रकार है:—

"2. संविधान के भाग 3 में, "धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार" शीर्षक के नीचे और अनुच्छेद 25 के पूर्व निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"24क. राज्य,—

(क) सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, और

(ख) किसी धर्म को न तो मानेगा और न उसका आचरण या प्रचार करेगा।"

6. समिति ने विधेयक के खण्ड 3 पर चर्चा शुरू की। समिति ने प्रस्तावित अनुच्छेद 35क में प्रयुक्त वाक्य रचना "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" का लोप करने तथा प्रस्तावित अनुच्छेद में निर्धारित आधारों को केवल धर्म तक ही सीमित करने का निर्णय लिया। विधेयक के विद्यमान खण्ड 3 को नए खण्ड से प्रतिस्थापित किया गया, जो कि इस प्रकार है:—

*3. संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 46 के पश्चात् और "संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार" शीर्षक के पूर्व निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"28क(क) संसद या किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगा कि व्यक्तियों के किसी संगम या निकाय पर पाबन्दी लगाई जाए यदि वह बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य-रूपणों द्वारा या अन्यथा, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर असौहार्द्र अथवा शत्रुता घृणा या वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संपवर्तन करने का प्रयत्न करता है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विधि में पाबन्दी लगे व्यष्टियों के संगत या निकाय की जंगम या स्थावर संपत्ति के समपहरण के लिए उपबंध और अन्य आनुषगिक या पारिणामिक उपबंध किए जा सकेगें।

तत्पश्चात् समिति की बैठक उसी दिन 1630 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

---

*प्रस्तावित अनुच्छेदों को 17 अगस्त, 1993 को 1630 बजे से 1830 बजे तक समिति की हुई बैठक में पुनः यथा संख्यांकित किया गया।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 17 अगस्त, 1993 को 1630 बजे से 1930 बजे तक समिति कमरा सं॰ 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पवन कुमार बंसल — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ई॰ अहमद
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री पी॰ चिदमबरम
5. श्री जार्ज फर्नाण्डीज
6. श्री के॰ एम॰ मैथयू
7. श्री शरद दिघे
8. श्री के॰ पी॰ रेड्डय्या यादव
9. श्री दिग्विजय सिंह
10. श्री इन्द्रजीत गुप्त
11. श्री अब्दुल गफूर
12. श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य सभा

13. मुफ्ती मुहम्मद सईद
14. श्री चतुरानन मिश्र
15. श्री सत्यप्रकाश मालवीय
16. श्री आर॰ के॰ धवन
17. श्री मदन भाटिया
18. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे
19. श्री रामचन्द्रन पिल्लै
20. श्री मैन्तै पदमनाभन

सचिवालय

1. श्री जी॰ एल॰ बत्रा — अपर सचिव
2. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — उप सचिव
3. श्री राम कुमार —अवर सचिव

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी॰ पी॰ आर॰ नायर —विशेष सचिव
2. श्री आर॰ बालाकृष्णन —सलाहकार
3. श्री टी॰ एन॰ श्रीवास्तव —संयुक्त सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा॰ पी॰ सी॰ राव —सचिव (विधि कार्य विभाग)
2. श्री ए॰ सी॰ सी॰ उन्नी —अपर सचिव (विधायी विभाग)
3. श्री बी॰ एस॰ सलूजा —संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार (विधायी विभाग)
4. डा॰ एस॰ सी॰ जैन —संयुक्त सचिव, और विधायी सलाहकार (विधि कार्य विभाग)

2. समिति ने शिरोमणि अकाली दल (लोंगोवाल) के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया:

1. श्री ओंकार सिंह थापर, महासचिव
2. श्री आर० एस० सोढी, सलाहकार
3. श्री गुरदीप सिंह दुआ
4. श्री नानकसिंह

(साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया)

3. समिति ने खण्ड 2 और 3 में अन्तर्विष्ट प्रस्तावित अनुच्छेदों 28क और 35क को क्रमशः 24क और 28क के रूप में पुनः संख्यांकित करने का निर्णय किया।

4. समिति ने श्री सतीश परधान, संसद सदस्य, राज्य सभा और शिव सेना संसदीय समूह के नेता का मौखिक साक्ष्य लिया।

(साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया)

5. समिति ने यह महसूस किया कि विधेयक के खंड 4 और 5 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि इन प्रावधानों के अंतर्गत मतदान करने से पूर्व निरर्हता को केवल धर्म के उपयोग जिसमें धार्मिक चिन्ह भी शामिल है तक ही सीमित रखा जा सके।

6. समिति ने खंड 4 और 5 को निम्न प्रकार से नया रूप दिया:

4 संविधान के अनुच्छेद 102 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

"102क (1) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति संसद के लिए निर्वाचन के लिए तीसरी अनुसूची में उस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् वह या उसकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति अपने निर्वाचन को संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए,—

(i) उसके धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अपील करता है या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करता है या उनकी दुहाई देता है; या

(ii) विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर असद्भावना अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संप्रर्वतन करने का प्रयत्न करता है।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (1) के अधीन निरर्हता के प्रश्न का अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए।"

5. संविधान के अनुच्छेद 191 के पश्चात् निम्निलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"191क. (1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए तीसरी अनुसूची में उस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् वह या उसकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति, अपने निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए,—

(i) उसके धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने के विरत रहने की अपील करता है या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करता है या उनकी दुहाई देता है; या

(ii) विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर असद्भावना अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करता है।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (1) के अधीन निरर्हता के प्रश्न का अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए।"।

7. विधेयक के खंड 6 के स्थान पर एक नया खंड प्रतिस्थापित किया गया जिसमें अनुच्छेद 329 में संशोधन करने की मांग की गई ताकि समिति द्वारा यथासंशोधित खंड 4 और 5 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करने हेतु उसके प्रावधानों को अनुकूल बनाया जा सके। नये खंड 6 में निम्न उपबंध किया गया है:

6. संविधान के अनुच्छेद 329 के प्रारंभिक भाग में, "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" शब्दों के पश्चात् "किन्तु अनुच्छेद 102क और अनुच्छेद 191 क के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जायेंगे।

8. समिति ने खंड को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

9. खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम स्वीकृत किये गये।

10. समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न खंडों में किये गये संशोधनों को अनुबंध में देखा जा सकता है।

11. तत्पश्चात् समिति ने जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 पर खंडवार विचार किया। विधेयक के खंड 2 पर चर्चा पूरी नहीं हुई।

तत्पश्चात् समिति की बैठक 18 अगस्त, 1993 को 0900 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

सातवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 18 अगस्त, 1993 को 0900 बजे से 1030 बजे तक समिति कमरा संख्या 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पवन कुमार बंसल — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ई० अहमद
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री जार्ज फर्नाण्डीज
5. श्री नुरूल इस्लाम
6. श्री के० एम० मैथ्यू
7. श्री शरद दिघे
8. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव
9. श्री अशोक गहलोत
10. श्री अब्दुल गफूर
11. श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य सभा

12. मुफ्ती मुहम्मद सईद
13. श्री चतुरानन मिश्र
14. श्री सत्य प्रकाश मालवीय
15. श्री आर० के० धवन
16. श्री मदन भाटिया
17. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे
18. श्री रामचन्द्रन पिल्लै
19. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
20. श्री मैन्‍त्रै पदमनाभन

सचिवालय

1. श्री जी० एल० बत्रा — अपर सचिव
2. श्री एस० सी० गुप्ता — संयुक्त सचिव
3. श्री आर० के० चटर्जी —उप सचिव
4. श्री राम कुमार —अवर सचिव

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री टी० एन० श्रीवास्तव —संयुक्त सचिव

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा० पी० सी० राव —सचिव (विधि कार्य विभाग)
2. श्री ए० सी० सी० उन्नी —अपर सचिव (विधायी विभाग)
3. श्री बी० एस० सलूजा —संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार (विधायी विभाग)

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एच० आर० भारद्वाज ने, जो संयुक्त समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के अंतर्गत सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 पर खण्ड-वार विचार आरम्भ किया।

4. खण्ड 2: कुछ सदस्यों ने विधेयक के खण्ड 2 (एक) में यथा अंतर्विष्ट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क(7) में प्रस्तावित उपबंध के खण्ड (क) के संभावित दुरुपयोग के बारे में आशंकाएं व्यक्त की। विधि तथा न्याय राज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे दुरुपयोग को रोकने हेतु पर्याप्त सुरक्षोपाय किये गये हैं। चर्चा के बाद समिति ने यह महसूस किया कि विधेयक में उपबंध की स्थिति को ज्यों का त्यों रखा जाए। खण्ड 2 को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया था।

5. खण्ड 3: समिति ने यह महसूस किया कि प्रस्तावित धारा 29 ख (1) के खण्ड (ग) को राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने हेतु विस्तृत आधार बनाने के लिए बेहतर शब्दों वाले उपबन्ध से प्रतिस्थापित किया जाए। विधि और न्याय राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन को प्रस्तावित धारा 29ख (1) में विद्यमान खण्ड (ग) की प्रतिस्थापना हेतु समिति द्वारा मौखिक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार स्वीकार किया गया था :

(ग) राजनैतिक दल विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करता है।

6. समिति प्रस्तावित धारा 29 (ख) (2) में यथा अंतर्विष्ट उपबन्धों पर सहमत हुई।

7. तथापि, समिति ने प्रस्तावित धारा 29 ख (3) में प्रयुक्त "या उसके पदाधिकारी या सदस्यों" और "या उसके पदाधिकारी या सदस्य" शब्दों का लोप करने का निर्णय लिया।

8. समिति ने प्रस्तावित धारा 29 ख (4) में प्रयुक्त शब्दावली को निम्नलिखित ढंग से पुनः स्थापित किया :—

"(4) यदि राजनैतिक दल लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ के नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपना नाम बदल लेता है तो उप-धारा (2) के अधीन कोई परिवाद, उप-धारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट आधार पर उच्च न्यायालय को नहीं होगा।"

9. समिति ने महसूस किया कि प्रस्तावित धारा 29 (ख) के अंतर्गत अपील करने हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। तदनुसार, समिति ने प्रस्तावित धारा 29 ख में निम्नलिखित ढंग से एक नई उप-धारा (5) अंतःस्थापित की :

"(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय के किसी आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी :

परन्तु इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि राजनैतिक दल के पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।"

खंड 3 को यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया था।

10. खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक के पूरे नाम को स्वीकार किया गया।

11. समिति के सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयक के विभिन्न खंडों के संशोधन अनुबंध में देखे जा सकते हैं।

12. समिति ने विधेयकों के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने तथा इसे स्वीकार करने हेतु 20 अगस्त, 1993 को पुनः बैठक करने का निर्णय लिया।

13. समिति ने सदस्यों को विसम्मति टिप्पण, यदि कोई हो, को 20 अगस्त, 1993 को 4.00 म० प० तक भेजने का समय दिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 20 अगस्त, 1993 को 09.00 बजे से 10.00 बजे तक समिति कमरा सं० 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पवन कुमार बंसल — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एल० के आडवाणी
3. श्री ई० अहमद
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री पी० चिदम्बरम
6. श्री जार्ज फर्नांडीज
7. श्री नुरूल इस्लाम
8. श्री के० एम० मैथ्यू
9. कुमारी विमला वर्मा
10. श्री शरद दिघे
11. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव
12. श्री अशोक गहलोत
13. श्री इन्द्रजीत गुप्ता
14. श्री अब्दुल गफूर
15. श्री गुमान मल लोढा
16. श्री जसवन्त सिंह
17. श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य सभा

18. मुफ्ती मुहम्मद सईद
19. श्री चतुरानन मिश्र
20. श्री सत्य प्रकाश मालवीय
21. श्री सिकन्दर बख्त
22. श्री आर० के० धवन
23. श्री मदन भाटिया
24. श्री सुशील कुमार सम्भाजीराव शिन्दे
25. श्री रामचन्द्रन पिल्लै
26. श्री मन्त्य पदमनाभन

सचिवालय

1. श्री जी० एल० बत्रा — अपर सचिव
2. श्री एस० सी० गुप्ता —संयुक्त सचिव
3. श्री आर० के० चटर्जी —उप सचिव
4. श्री राम कुमार —अवर सचिव

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री टी॰ एन॰ श्रीवास्तव —संयुक्त सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा॰ पी॰ सी॰ राव —सचिव (विधि कार्य विभाग)

2. श्री ए॰ सी॰ सी॰ उन्नी —अपर सचिव

3. श्री बी॰ एस॰ सलूजा —संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार विधायी विभाग

2. श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्री विद्याचरण शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री जो संयुक्त समिति के सदस्य नहीं थे, ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने विधेयकों संबंधी संयुक्त समिति के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. सभापति ने सुझाव दिया कि समिति के एक सदस्य द्वारा सुझाए गए संशोधन के सार को, जिसमें किसी धार्मिक संस्थान द्वारा हुक्मनामा अथवा फरमान आदि जारी करने पर निषेध की मांग की गई है शामिल करने के लिए प्रतिवेदन के अंत में निम्नलिखित यह सिफारिश जोड़ी जा सकती है :

"समिति यह भी सिफारिश करती है कि चुनाव प्रयोजनों के लिए किसी धार्मिक संस्थान द्वारा किसी निदेश, फरमान, आदेश जारी करने पर रोक लगाने के लिए कानून में उचित प्रावधान किए जायें।"

समिति ने इसे स्वीकार किया।

5. समिति ने निदेश दिया कि उसके समक्ष दिए गए साक्ष्य को संसद के सभापटल पर रखा जाए तथा समिति द्वारा प्राप्त प्रत्येक ज्ञापन की दो प्रतियां संसदीय ग्रंथालय में रखी जायें।

6. समिति ने विधायी सलाहकार को प्रारूपण संबंधी कतिपय गौण अशुद्धि को ठीक करने के लिए प्राधिकृत किया।

7. सभापति ने यह बात दोहराई की विमत टिप्पणी, यदि कोई हो तो, उसे लोक सभा सचिवालय को भेज दिया जाये ताकि वह आज 20 अगस्त, 1993 को 16.00 बजे तक वहां पहुंच जाये।

8. समिति ने सभापति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा दोनों सदनों के समक्ष साक्ष्य का रिकार्ड रखने के लिए प्राधिकृत किया।

9. सभापति ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा समिति के सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट छः

संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993 संबंधी संयुक्त समिति और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 संबंधी संयुक्त समिति

संशोधन भेजे गए

भाग I

एक. संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं०
1	2	3
	श्री ई० अहमद	
1.	पृष्ठ 1, पंक्ति 6	2
	"आदर" के पश्चात और बर्ताव अन्तःस्थापित किया जाये	
	श्री सोमनाथ चटर्जी	
	श्री रामचन्द्रन पिल्लै	
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	
	श्री अब्दुल गफूर	
	श्री चन्द्रजीत यादव	
	मुफ्ती मुहम्मद सईद	
	श्री चतुरानन मिश्र	
2.	पृष्ठ 1, पंक्ति 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये "28 क राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह किसी धर्म का अनुसरण अथवा प्रचार नहीं करेगा और राज्य के कार्यों से धर्म को अलग बनाये रखेगा"	2
	श्री मदन भाटिया	
3.	पृष्ठ 1 पंक्ति 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये "28 क (क) राज्य किसी भी धर्म को दूसरे धर्म की तुलना में प्राथमिकता नहीं देगा और वह अपने कार्यों में किसी भी धर्म का उपयोग नहीं करेगा अथवा किसी भी धर्म के नाम पर अपील नहीं करेगा। (ख) राज्य में अनुच्छेद 28 क के खंड (क) में एक राजनैतिक दल शामिल होगा। (ग) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्य विधि द्वारा ऐसे उपाय निर्धारित कर सकता है जिसे वह इस अनुच्छेद के खंड (क) के उपबंधों का उल्लंघन करने से किसी भी राजनैतिक दल को रोकने और/अथवा उपरोक्त खंड की आवश्यकताओं के अनुसार उसके द्वारा इसके पालन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त समझें। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, राजनैतिक दल में व्यक्तियों का एक संगम भी शामिल होगा जो राजनैतिक नियमों को पोषित करता है अथवा उन्हें बनाये रखता है और जो सरकार की सार्वजनिक नीतियों में विश्वास रखता है और जिसे राज्यों के कार्यों में ऐसे नियम को लागू करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए दबाव डालने हेतु बनाया गया है।"	2

1	2	3

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण
कुमारी विमला वर्मा
श्री के॰ एम॰ मैथ्यू

4. पृष्ठ 1, पंक्ति 9-21 के स्थान पर 3
कतिपय संगमों पर कतिपय आधारों पर पाबंदी लगाने के लिए विधान

"35 क (क) संसद अथवा किसी राज्य का विधान मंडल विधि, द्वारा यह उपबंध कर सकेगा कि किसी संगम या व्यक्तियों के निकाय पर पाबंदी लगाई जाए, यदि वह बोले गये अथवा लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा भारत के नागरिकों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संप्रवर्तन करने का प्रयास करता है।

(ख) खंड (क) में उल्लिखित नियम के अंतर्गत प्रतिबंधित संगम या व्यक्तियों के निकाय की सम्पत्ति, चल अथवा अचल को जब्त करने हेतु उपबंध कर सकेगा और अन्य आकस्मिक या परिणामी उपबंध कर सकेगा।"

प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री ई॰अहमद

श्री जार्ज फर्नान्डीस

5. पृष्ठ 1, पंक्ति 9 इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी — का लोप किया जाए।

श्री ई॰ अहमद

6. पृष्ठ, 1, पंक्ति 10-12 के स्थान पर 3

35 क (क) संसद, विधि द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि किसी राजनीतिक दल पर पाबंदी लगाई जाये यदि वह प्रत्यक्षतः अथवा अपने सहायक दल या सम्बद्ध संगठनों अथवा सदस्यों के माध्यम से बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों या दृश्य रूपणों द्वारा अथवा अन्य किसी ढंग से गणराज्य के धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप हो हानि पहुंचाता है या हानि पहुंचाने का प्रयास करता है।"

प्रतिस्थापित किया जाए।

"स्पष्टीकरण

इस खंड के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को हानि पहुंचाता है या हानि पहुंचाने का प्रयास करता है" के प्रयोजन का अभिप्राय किसी प्रकार का प्रचार, भाषण, प्रकाशन, विचारधारा जोकि इस संविधान के अंतर्गत की गई अभिकल्पना से असंगत है और धर्मनिर्पेक्षता के विरुद्ध है या किसी धार्मिक विश्वास का प्रचार करता है अथवा धर्मतंत्रीय राज्य की स्थापना का वचन देता है।"

जार्ज फर्नान्डीस

7. पृष्ठ 1, पंक्ति 12 भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों" शब्दों के स्थान पर "भारत के धार्मिक समूहों" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। और पंक्ति, 13-14 का लोप किया जाए। 3

श्री सत्य प्रकाश मालवीय 3

8. पृष्ठ 1, पंक्ति 14 "जन्मस्थान, निवास" का लोप किया जाये।

श्री ई॰ अहमद

9. पृष्ठ 1, पंक्ति 21 "अधिकारिता" के पहले "अनुच्छेद 32 के अंतर्गत " अंतःस्थापित किया जाए। 3

श्री जार्ज फर्नान्डीज

10. पृष्ठ 1, पंक्ति 20-21 का लोप किया जाए। 3

1	2	3
	श्री एस॰ बी॰ चव्हाण कुमारी विमला वर्मा श्री के॰ एम॰ मैथ्यू	
11.	पृष्ठ 1, पंक्ति 22-38 के स्थान पर	4, 5 और 6

"नए अनुच्छेद 102क का अंतःस्थापन।

4. संविधान के अनुच्छेद 102 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा नामतः

धर्म का दुरुपयोग करने पर सदस्यता से निरर्हता।

"102क (1) कोई भी व्यक्ति संसद की किसी भी सभा का सदस्य चुने जाने के लिए निर्हर होगा यदि संसद में निर्वाचन के लिए तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के पश्चात वह अथवा कोई अन्य व्यक्ति उसकी स्वीकृति से—

(एक) किसी व्यक्ति के लिए उसके धर्म के आधार पर मतदान करने के लिए अथवा मतदान का बहिष्कार करने की अपील करता है अथवा धार्मिक प्रतीकों की अपील करता है अथवा उनका उपयोग करता है, अथवा

(दो) भारत के नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर वैमनस्य अथवा घृणा की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संप्रवर्तन करने का प्रयास करता है,

इस प्रकार अपने चुने जाने की सम्भाव्यताओं में वृद्धि करता है अथवा पूर्वाग्रहपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति के चुनाव को प्रभावित करता है।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (1) के अंतर्गत निर्हरता का प्रश्न ऐसे प्राधिकारी द्वारा और इस ढंग से निर्धारित किया जाएगा जैसा कि ऐसी विधि में निर्दिष्ट किया गया हो।"

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण
कुमारी विमला वर्मा
श्री के॰ एम॰ मैथ्यू

नए अनुच्छेद 191 क का अंतः स्थापन

5. संविधान के अनुच्छेद 1991 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा नामतः 4, 5 और 6

धर्म का दुरुपयोग करने पर सदस्यता से निर्हरता।

"191 क (1) कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निर्हर होगा, यदि वह विधानमंडल में निर्वाचन के लिए तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के पश्चात वह अथवा अन्य कोई व्यक्ति उसकी स्वीकृति से —

(एक) किसी व्यक्ति के लिए इसके धर्म के आधार पर मतदान के लिए अथवा मतदान का बहिष्कार करने की अपील करता है अथवा धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करता है उनके प्रति अपील करता है अथवा धार्मिक प्रतीक का उपयोग करता है; अथवा

(दो) भारत के नागरिकों के बाच धर्म के आधार पर वैमनस्य अथवा घृणा की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है या संप्रवर्तन करने का प्रयास करता है।

इस प्रकार अपने चुने जाने की सम्भाव्यताओं में वृद्धि करता है अथवा पूर्वाग्रहपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति के चुनाव को प्रभावित करता है।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (1) के अंतर्गत निर्हरता का प्रश्न ऐसे प्राधिकारी द्वारा और इस ढंग से निर्धारित किया जाएगा जैसा कि विधि में निर्दिष्ट किया गया हो।"

1	2	3
	अनुच्छेद 329 का संशोधन	
	6. संविधान के अनुच्छेद 329 के आरंभिक भाग के अंदर "इस संविधान" शब्दों के पश्चात "किन्तु अनुच्छेद 102क और अनुच्छेद 191क के उपबंधों के अध्यधीन" शब्दों को अंतःस्थापित किया जायेगा।	
	श्री जार्ज फर्नांडीज	
12.	पृष्ठ 1, पंक्ति 22-38 का लोप किया जाए।	
	श्री ई० अहमद	
13.	पृष्ठ 1, पंक्ति 24-26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:	
	"घ (क) यदि वह, संसद के लिए निर्वाचन के लिए तीसरी अनुसूची में उस प्रयोजनार्थ अधिकथित प्रारूप के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 35क (यथा संशोधित) के अर्थ के अन्तर्गत देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को क्षति पहुंचाता है अथवा क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है।"	
	स्पष्टीकरण	
	"इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति जिसको इस तरह निरर्ह ठहराया जाये, उच्च न्यायालय में दो दिन के अन्दर अपील कर सकता है तथा उच्च न्यायालय ऐसी अपील का तीन दिन के अन्दर-अन्दर निपटारा करेगा।"	
	श्री के०पी० रेड्डया यादव	
14.	पृष्ठ 1, पंक्ति 28 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए:	
	"(4क) संविधान के अनुच्छेद 102 में, खण्ड 2 के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, नामतः	
	(3) संसद, विधि द्वारा खण्ड (1) (घक) तथा खण्ड (1) (घख) तथा खण्ड (1) (ग्रख) के अन्तर्गत निर्हरता के लिए शिकायतों के संबंध में, अथवा उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में उपबंध बनायेगी।"	
	श्री ई० अहमद	
15.	पृष्ठ 1, पंक्ति 31-35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:	5
	"(घक) यदि वह, राज्य के विधान मण्डल के लिए निर्वाचिन के लिए तीसरी अनुसूची में उस प्रयोजन के लिए अधिकथित प्रारूप के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 35क (यथासंशोधित के अर्थ के अन्तर्गत देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को क्षति पहुंचाता है अथवा क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है।"	
	सरकारी संशोधनों में संशोधन	3
	श्री जार्ज फर्नांडीज	
1.	पृष्ठ 1, पंक्ति 2	
	"अथवा किसी राज्य के विधान मण्डल" का लोप किया जाये।	
2.	पृष्ठ 1, पंक्ति 6-7	3
	"धर्म के आधार पर भारत के नागरिकों के स्थान पर भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों" प्रतिस्थापित किया जाए।	

1	2	3
3.	पृष्ठ 1, पंक्ति 9-41 का लोप किया जाये।	4-6
	श्री रामचन्द्रन पिल्लै	
4.	पृष्ठ 1, पंक्ति 35 (1) "के आधार पर" के पश्चात् "असौहार्द" अंतःस्थापित किया जाये।	4
5.	पृष्ठ 1, पंक्ति 35-36, (1) "के आधार पर" के पश्चात् "असौहार्द" अंतःस्थापित किया जाए।	5

सामान्य सुझाव

श्री जार्ज फर्नांडीज

पृष्ठ 1, पंक्ति 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:

"25(1) राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा तथा किसी धर्म के साथ अपनी पहचान नहीं बनाएगा अथवा उसको संरक्षण प्रदान नहीं करेगा।"

संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993

नियम 301 के अंतर्गत संशोधन की सूचना

श्री के॰ वी॰ आर॰ चौधरी

पृष्ठ 1, पंक्ति 14 "के जन्म स्थान, निवास" शब्दों का लोप किया जाये।

भाग II

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
1	2	3
	श्री ई॰ अहमद	
1.	पृष्ठ 1, पंक्ति 6-11 के स्थान पर "परंतु कोई संगम या निकाय इस उप धारा के अधीन राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, यदि— (क) वह संगम या निकाय या इसका कोई संबद्ध अथवा सहायक संगम गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को हानि पहुंचाता है या हानि पहुंचाने का प्रयास करता है।"	2
	श्री जार्ज फर्नांडीज	
2.	पृष्ठ 1, पंक्ति 8 के स्थान पर "संगम अथवा निकाय का नाम धर्म अथवा धार्मिक समुदाय का निरूपण करता है।" प्रतिस्थापित किया जाए।	2
	श्री मदन भाटिया	
3.	पृष्ठ 1, पंक्ति 10 के अंत में "अथवा" जोड़ा जाए और "(ग) यदि ऐसा संगम अथवा निकाय एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करता है जिसमें किसी विशेष धर्म के सदस्यों हेतु अपनी सदस्यता को सीमित रखे जाने की संभावना है या अपनी सदस्यता में किसी धर्म विशेष के सदस्यों की बहुलता होने की संभावना है।"	2
	श्री ई॰ अहमद	
4.	पृष्ठ 1, पंक्ति 22 के स्थान पर "(क) कोई राजनैतिक दल प्रत्यक्षतः अथवा अपने सहायक या सम्बद्ध संगठनों अथवा सदस्यों के माध्यम से गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को हानि पहुंचाता है अथवा हानि पहुंचाने का प्रयास करता है।" प्रतिस्थापित किया जाए।	
	श्री जार्ज फर्नांडीज	
5.	पृष्ठ 1, पंक्ति 22 के स्थान पर "(क) राजनैतिक निकाय का नाम किसी धर्म अथवा धार्मिक समुदाय का निरूपण करता है।" प्रतिस्थापित किया जाए।	3
	श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज कुमारी विमला वर्मा श्री के॰ एम॰ मैथ्यू	
6.	पृष्ठ 1, 25-26 के स्थान पर "(ग) राजनैतिक दल धर्म के आधार पर भारत के नागरिकों के मध्य असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा अथवा वैमनस्य की भावनाओं का संप्रवर्तन करता है अथवा सम्प्रवर्तन करने का प्रयत्न करता है।" प्रतिस्थापित किया जाए।	3

1	2	3
7.	**श्री सुब्रहमण्यम स्वामी**	3(ख)
	पृष्ठ 1, पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए: "कोई भी राजनैतिक दल ऐसे किसी समूह, संस्था अथवा संगठन का जोकि किसी धर्मतंत्रीय राज्य में विश्वास रखता है, जिसमें किसी एक धार्मिक समूह अथवा इसकी उप-संस्कृति का आधिपत्य अथवा सर्वोच्चता होती है, अग्रणी पक्षधर नहीं होगा।	
	श्री मदन भाटिया	
8.	पृष्ठ 1, पंक्ति 26 के पश्चात् "अथवा" जोड़ा जाए और "यदि कोई राजनैतिक दल ऐसी विचारधारा का समर्थन करता है जिसमें किसी विशेष धर्म के सदस्यों हेतु उसकी सदस्यता सीमित रखे जाने की संभावना है या सदस्यता में धर्म विशेष के सदस्यों की बहुलता होने की संभावना है।" अंतःस्थापित किया जाए। **स्पष्टीकरण एक** किसी शंका के निवारणार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई राजनैतिक दल किसी समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं से फायदा उठाने के आशय से अथवा प्रवृति रखते हुए किसी धार्मिक मुद्दे को उठाता है अथवा उसका समर्थन करता है अथवा किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है ताकि उस समुदाय में अपनी राजनैतिक स्थिति या चुनाव संभावनाओं को सुदृढ़ बना सके, अथवा धर्म के आधार पर भारत के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावना को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है तो यह माना जाएगा कि उस राजनैतिक दल की गतिविधियां इसके ज्ञापन अथवा धारा 29 क की उप-धारा (5) में उल्लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार नहीं है। **स्पष्टीकरण दो** "राजनैतिक दल" की सामान्य अभिव्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह न रखते हुए "राजनैतिक दल" शब्द समूह में इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, शासी अथवा कार्यकारी निकाय अथवा वह या वे सदस्य शामिल हैं जो इसकी अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष सहमति, मौन सहमति, दुरुत्साहन अथवा समर्थन से कार्य करते हैं।	3
	श्री जार्ज फर्नांडीज	
9.	पृष्ठ 1, पंक्ति 36 में "या उसके पदाधिकारियों या सदस्यों" शब्दों का लोप किया जाए।	3
10.	पृष्ठ 1, पंक्ति 37-38 में "या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य" शब्दों का लोप किया जाए।	3
11.	पृष्ठ 1, पंक्ति 43 में "उक्त अवधि के भीतर अपना धार्मिक नाम बदल लेता है।" शब्दों के स्थान पर "जिसके नाम से किसी धर्म अथवा धार्मिक समुदाय का नाम परिलक्षित होता है, उक्त अवधि के भीतर अपना नाम बदल लेता है।" प्रतिस्थापित किया जावे।	3
	श्री मदन भाटिया	
12.	पृष्ठ 1, पंक्ति 43 के पश्चात् "यदि कोई राजनैतिक दल, जो अपने ज्ञापन या नियम और विनियमों की उप-धारा 1 के खंड (घ) में उल्लिखित किसी विचारधारा में विश्वास रखता है, तो उक्त अवधि के भीतर उसी विचार धारा में विश्वास रखना छोड़ देता है।" जोड़ा जाए।	

1	2	3

श्री मदन भाटिया

13. पृष्ठ 1, पंक्ति 43 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए। 3

"29ग-यदि इस अधिनियम की धारा 29ख के अंतर्गत किसी राजनैतिक दल का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, तो लोक सभा अथवा किसी राज्य विधान सभा का वह सदय, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अंतर्गत किसी राजनैतिक दल के अनुरोध पर चुनाव आयोग द्वारा उसे प्रदत्त उस राजनैतिक दल के चुनाव चिन्ह के संबन्ध में उक्त धारा 29ख के खण्ड (2) में उल्लिखित शिकायत की तारीख के पश्चात् निर्वाचित हुआ है, स्वतः निरर्ह हो जाएगा और लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा, यथास्थिति, का सदस्य नहीं रहेगाः

परंतु इस धारा के लागू होने से पूर्व निर्वाचित किसी सदस्य पर यह धारा लागू नहीं होगी।

29-घ किसी चुनाव की अधिसूचना दिए जाने, किसी निर्वाचन-क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्, लेकिन वस्तुतः मतदान होने से पूर्व यदि किसी राजनैतिक दल का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, तो किसी अभ्यर्थी को दिया गया उस राजनैतिक दल का चुनाव चिन्ह रद्द हो जाएगा लेकिन वह अभ्यर्थी इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दूसरे चुनाव-चिन्ह का हकदार होगा।"

श्री सत्य प्रकाश मालवीय

14. पृष्ठ 1, पंक्ति 43 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए। 3

"29ग-सर्वोच्च न्यायालय में अपीलः

1. इस समय लागू किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट उपबंध के बावजूद, धारा 29ख के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रश्न (चाहे कानूनी हो अथवा तथ्यगत) के संबंध में दिए गए प्रत्येक आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।
2. उपरोक्त धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील धारा 29ख के अंतर्गत उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदर की जायेगी।

परंतु यह भी कि उच्चतम न्यायालय 30 दिनों की उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् किसी अपील को स्वीकार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास ऐसी अवधि के अंदर अपील न कर पाने के पर्याप्त कारण थे।"

श्री रामचन्द्रन पिल्लै

15. पृष्ठ 1, पंक्ति 43 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये 3

"(5) (i) यह निर्णय करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102क तथा 191क के कारण निरर्ह हो गया है, राष्ट्रपति प्रत्येक जिले के लिए न्यायधीशों का एक पैनल गठित करेंगे जिसमें तीन से कम न्यायधीश नहीं होंगे और ऐसे न्यायधीश जिला न्यायधीश अथवा अतिरिक्त जिला न्यायधीश अथवा मुख्य न्यायिक आयुक्त की श्रेणी के होंगे।

(ii) न्यायधीशों के उपरोक्त पैनल के कार्मिकों का उस राज्य के मुख्य न्यायधीश द्वारा चयन किया जायेगा जिसमें वह जिला स्थित है और पैनल बनाने हेतु इस प्रकार चयनित न्यायधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(iii) संविधान के अनुच्छेद 102(क) और 191(क) के अंतर्गत निरर्ह के प्रश्न पर निर्णय करने के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(iv) संबंधित न्यायधीशों के पैनल द्वारा दिए गये किसी भी अंतिम निर्णय के विरुद्ध संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।"

1	2	3

सामान्य सुझाव

श्री चतुरानन मिश्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 41 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जाए:—

   4 मुख्य अधिनियम के भाग vii में धारा 135क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थातः—

   "135ख यदि कोई व्यक्ति अथवा संगठन अथवा जनसमूह किसी धार्मिक प्राधिकार से अथवा उसके बिना कार्य करने के प्रयोजनार्थ किसी भी धर्म के नाम पर किसी निर्वाचन में किसी धर्म के सदस्यों को किसी विशेष राजनैतिक उम्मीदवार अथवा किसी विशेष राजनैतिक दल को मत देने के लिए कोई निदेश, अनुदेश, अपील, अथवा फतवा जारी करता अथवा प्रेरित करता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत उस व्यक्ति और संगठन के मामले में उस संगठन के प्रबंधन अथवा शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को तीन वर्ष तक की कैद और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा दी जायेगी।"

श्री सत्य प्रकाश मालवीय

1. धारा 29(ख) (1) (ग) अथवा 29ख(2) अथवा 29(3) के अंतर्गत दिए गये उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए उपबंध किया जाना चाहिए।

© 1994 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित तथा प्रबन्धक, फोटो लिथो यूनिट, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।